पुलिस विज्ञान

अंक-136 (जनवरी–जून-2017)

सलाहकार समिति

डा. मीरां चड्डा बोरवणकर

महानिदेशक

वरुण सिंधु कुल कौमुदी

अपर महानिदेशक

डा. निर्मल कुमार आजाद

महानिरीक्षक (एन.पी.एम.)

संपादक :

बी.एस. जायसवाल

उप महानिरीक्षक (एस.एंड.पी.)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

एन एच–8, महिपालपुर, नई दिल्ली–110037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती है। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यत: 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क करें।

(दूरभाष: 011-26781310 तथा फैक्स: 011-26781315)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 25,000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 28,000/- रु. प्रदान किए जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 011-26781326 व 011-26781314)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोध कर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (अनु.) एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 (फोन नं. 011-26781326 एवं 011-26781314) पर संपर्क कर सकते हैं तथा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का जनवरी–जून, 2017 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य–प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए अपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **व्यक्ति की गरिमा तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा, भारत एवं विदेशों में बालकों के दुरुपयोग का सामाजिक–वैधानिक यथार्थ चित्रण, पुलिस अधिकारियों का नागरिक केन्द्रित व्यवहार व उसका प्रशिक्षण, फांसी की सजा पर दाखिल दया याचिका–एक मानवीय पहलू, स्मार्ट पुलिसिंग, किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका, वी आई पी सुरक्षा, न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

संपादक

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों में समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगवाने के लिए संपर्क करें:-

संपादक
पुलिस विज्ञान
एन एच-8, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037
वैब साइट-डब्लू.डब्लू.डब्लू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन

वर्ष-36 जनवरी-जून, 2017

विषय सूची

सामग्री	लेखक	पृष्ठ सं.
व्यक्ति की गरिमा तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा	*आशीष श्रीवास्तव*	1
भारत एवं विदेशों में बालकों के दुरुपयोग का सामाजिक-वैधानिक यथार्थ चित्रण	*प्रदीप कुमार शर्मा*	10
पुलिस अधिकारियों का नागरिक केन्द्रित व्यवहार व उसका प्रशिक्षण	*हाकिम राय*	19
फांसी की सजा पर दाखिल दया याचिका: एक मानवीय पहलू	*ललितेश्वर नाथ तिवारी*	27
स्मार्ट पुलिसिंग	*प्रो. अदिति मिश्र*	32
किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका	*एम.पी. भारद्वाज*	36
वी.आई.पी. सुरक्षा (भयाशंका और आकलन एण्ड विश्लेषण)	*एस.पी. सिंह*	46
न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान	*डॉ. बी.डी. माली*	54

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जेड. खान, *नई दिल्ली*, **श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी**, *लखनऊ*, **प्रो. अरुणा भारद्वाज**, *नई दिल्ली*, **प्रो. जे.डी. शर्मा**, *सागर (म. प्र.)*, **प्रो. स्नेहलता टंडन**, *नई दिल्ली*, **प्रो. वी.के. कपूर**, *जम्मू*, **डॉ. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी**, *मेरठ*, **डॉ. अरविन्द तिवारी**, *मुंबई*, **डॉ. उपनीत लल्ली**, *चंडीगढ़*, **श्री वी.वी. सरदाना**, *फरीदाबाद*, **श्री सुनील कुमार गुप्ता**, *नई दिल्ली*

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : सागर प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, नई दिल्ली

व्यक्ति की गरिमा तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा

आशीष श्रीवास्तव
शोध छात्र एवं अतिथि व्याख्याता
शासकीय विधि महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

सामान्य जन की धारणा यह है कि मानवाधिकारों के स्रोत सन् 1215 के ''मैग्नाकार्टा'' तत्पश्चात् अमेरिका की ''स्वतंत्रता की घोषणा'' जो सन् 1776 में हुई थी, से संबंधित है। मानवीय स्वतंत्रताओं के संरक्षण की कटिबद्धता घोषित करते हुए अमेरिका का संविधान सन् 1789 में बना था। तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संस्था के निर्माण के पश्चात् मानव अधिकारों की सामूहिक घोषणाएं 1949 में हुई थीं। ये सब मानवाधिकारों की मान्यता के स्रोत माने जाते हैं।

भारत में तो मानवाधिकारों के स्रोत इससे भी पुरातन काल से उसके वेदों तथा धर्म ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। भारत में ऋषि मुनि तो विश्व नागरिक की कल्पना करते थे और इसलिए वेदों में ''विश्व मानुष'' शब्द का प्रयोग हुआ। भारत के ऋषि मुनियों की दृष्टि विशाल थी। समस्त मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधकर एक दूसरे के साथ प्रेम, सौहार्द तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थनाएं वेदों की ऋचाओं में मिलती हैं।

भारतीय वैदिक संस्कृति में मानवाधिकारों की अवधारणा, मानव को प्रकृति का ही अंश मानकर उसे प्रकृति के अन्य जीवधारियों तथा विभिन्न वनस्पतियों से तादात्म्य स्थापित कर सहयोग से रहने के ऋषियों के संदेश एवं उपदेश ''ऋचाओं'' के रूप में संकलित हैं।

लगभग 10 हजार साल पहले एक ऋषि की वाणी से शब्द निकला ''**विश्व मानुष**'' ऋग्वेद के आठवें मंडल में यह शब्द आया है। यह प्रमाण है कि ऋषियों की दृष्टि वैश्विक थी भले ही उनका कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित था।

यस्य ते विश्वमानुषः भूरर्दतस्य वेदाति।
वसु स्पारहं तदा भर॥

वैज्ञानिक आविष्कारों का परिणाम है कि विभिन्न राष्ट्रों के मानव समाज के सदस्यों के एक दूसरे से संबंध अधिक निकट व घनिष्ठ हो रहे हैं। जाति, भाषा, पंथ, देश, धर्म इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर **विश्व मानुष** का निर्माण होने की आकांक्षा भारतीय ऋषि का स्वप्न है। महाभारत में भी वेदव्यास कहते हैं-

सर्वेषां यः सुहृत् नित्यं सर्वेषां च हिते रतः
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद नेतरः॥

''जो सबके हित में सदा मग्न रहे, जो मन-वचन-कर्म से सबका मित्र हो, उसे ही धर्म समझ में आता है, दूसरों को नहीं।''

संत ज्ञानेश्वर ने ''ज्ञानेश्वरी'' ग्रंथ की रचना कर उसे विश्व को अर्पण किया।

ऋषियों और संतों के इन उद्गारों और वाणी से यही प्रकट होता है कि भारत में एक राष्ट्रीयता के जगह एक विश्वता थी। ऋषियों का दर्शन था ''**विश्वमानुष**''। हम ब्राह्मण हिंदू भारतीय नहीं हैं, हम विश्व के प्रतिनिधि हैं, विश्वमानुष हैं।

वैदिक परम्परा के पक्षधर संत विनोबा भावे कहते हैं-

‘‘विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों संकुचितता पर दोनों ओर से प्रहार कर रहे हैं। मानवता का इस पृथ्वी के अलावा कोई भी आधार नहीं है इसलिए वेश्चावन वृत्ति की आवश्यकता हैं।’’

(विनोबा साहित्य खण्ड 1 एवं 2 उद्धरण)

समानो मन्त्रस्समितिस्समानी।
समानं मनस्सह चित्तमेषाम्।।
समानी व आकूतिस्समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वस्तसुसहासति।

हमारी आराधनाएं समान हैं, समान हों हमारे लक्ष्य, समान हों हमारी आकांक्षाएं और अभिवार्तालाप, समान हो हमारी इच्छाएं। हम सभी की मानव जगत के हृदय और आकांक्षाएं मिले और हम सभी में एकता और पूर्ण सौहार्द कायम हो।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।

सभी जीव-जंतुओं के प्रति मेरी दृष्टि मित्रवत् रहे। हम एक दूसरे के प्रति मित्रता की दृष्टि और भाव से देखें।

यदि हम दृष्टि डालें कि प्राचीन भारत में मानवाधिकार किस अवस्था में थे तो हम यह पाते हैं कि मानवाधिकारों के संरक्षण का मूल भारत में वैदिक काल के धर्म में पाया गया है। **‘‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेः सन्तु निरामय’’।** अर्थात सब के सुख की कामना की गई है।

गीता पुराण में भी मानव अधिकारों का उल्लेख है। वैसे धर्म प्राचीन भारत का सर्वोच्च कानून रहा है। यह कानून नैतिकता, न्याय और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाता है।

प्राचीन भारत की कर्मण्ये अर्थशास्त्र नीति आदि में भी वैदिकोत्तर काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की समानता और प्रतिष्ठा पर बल दिया गया और जाति व्यवस्था का विरोध भी किया गया।

सम्राट अशोक ने मानवाधिकार के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। विशेष रूप से स्वतंत्रता, भाई-चारा व समानता के लक्षण में अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया। अशोक ने मानव अधिकार संरक्षण के लिए सर्वप्रथम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात कही, अशोक के प्रशासन में कैदियों के लिए कड़ी यातना और अमानवीय व्यवहार पर पाबंदी थी। दसवें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचें। देखा जाए तो प्राचीन भारत में एक तरह से मानवाधिकारों की स्थिति संतोषप्रद थी।

अकबर का काल मानवाधिकार के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में नए युग की शुरूआत थी, उसकी नीति विश्वव्यापी सामंजस्य और सहिष्णुता पर आधारित थी। अकबर ने धर्म की स्वतंत्रता व व्यापार की स्वतंत्रता पर सहिष्णुता की भावना का परिचय दिया। अकबर ने मानव स्वतंत्रता का समान करते हुए 1562 में दास प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी और जजिया कर को समाप्त कर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। इसके अलावा अनेक संतों ने जैस शंकर रामानुजाचार्य, माधव, तुलसीदास,

कबीर, गुरूनानक आदि ने अपने उपदेशों के माध्यम से समानता व मातृत्व को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार मध्य काल में कुछ अपवादों को छोड़कर मानवाधिकारों की दिशा में सार्थक पहल की गई थी।

मानवाधिकारों का उद्‌गम जिस संघर्ष एवं कड़े प्रयत्नों के द्वारा हुआ था तथा जितनी भी क्रांति मानवाधिकार प्राप्ति के लिए सदियों पूर्व हुई थी व जिनके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का विश्व में मानवाधिकार का अस्तित्व पुन: खतरे में है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकारों का उल्लंघन/सिलसिला जारी है। संभवत: संसार में एक भी देश ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त हैं जिन अधिकारों के लिए विश्व में कई क्रांतियां हुई एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की विधि घोषणा-पत्र का सृजन किया।

विश्व के कई देशों के साथ जब मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात उठाई जाती है तो वे इसे (मानव अधिकार हनन को) अपनी संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप करार देते हुए तर्क रखते हैं कि जब विश्व के विभिन्न समाजों की अपनी-अपनी ऐतिहासिक परम्परा है, अपनी-अपनी जीवन पद्धति है तो फिर सभी देशों के लिए समान मानव अधिकारों की बात कैसे की जा सकती है। परन्तु इस तर्क में मानवीयता नहीं है। यदि भारत में जाति प्रथा, या अस्पृश्यता है तो परम्परा मान कर उसे ढोते चले यद्यपि हम भी अनवरत रूप से मानव अधिकार दिवस मानते हुए आ रहे हैं। परन्तु गहराई में उतरें तो मानव अधिकारों की स्थिति भयानक जान पड़ती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के आधार पर विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या मानवीय अधिकारों से अछूती है जबकि प्रकृति प्रदत्त जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। जब मानव ही सुरक्षित नहीं है तो हम आगे क्या कह सकते हैं। आज विश्व में अनुमानत: 850 से 950 मिलियन लोग भुखमरी के कारण अपने इस अधिकार से वंचित है जिसमें इथोपिया अकाल तथा सोमालिया, सूडान व अन्य अफ्रीकी देशों की भुखमरी विकासशील देशों की गरीबी तथा अन्य देशों के मध्य छिड़े गृह युद्ध की ज्वाला में झुलस रहे सोमालिया वासियों ने शिशुओं को मारकर खाया जो मानवीय सर्वनाश एवं मानव अधिकारों के अस्तित्वकारी कहानी कह रहा है। इस सब पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है मानवाधिकारों का घोषणा पत्र निरर्थक हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा-पत्र के पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न अभिकरणों ने मानवाधिकारों के लिए व्यापकता से कार्य किया लेकिन आज के वर्तमान में आधी सदी बीत जाने के पश्चात् भी मानवाधिकार एक आम व्यक्ति के लिए मृगतृष्णा बने हुए हैं जबकि संसार में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र उसकी आयु बढ़ने के साथ-साथ संकुचित होता जा रहा है वह अपने उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्राय: विफल रहा है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने उसका गठन किया था।

महासभा के द्वारा 1948 के मानव अधिकार

विश्वव्यापी घोषणा–पत्र में मानवों के अधिकार के महत्वपूर्ण (गारन्टियों) का जिक्र किया गया था। इस अधिकार पत्र में कहा गया था कि सभी मानव को जीवन स्वाधीनता और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है। इसमें दासता, यंत्रणा एवं एक तरफा गिरफ्तारी की निंदा की गई थी। इसका विधि के समक्ष समानता, देश के भीतर एवं बाहर निर्बाध विचरण, निर्बाध भाषण, मुक्त धर्म एवं सम्मान जनक रोजगार के अधिकार का आह्वान किया गया है किन्तु प्रायः व्यस्त रहते हुए यह आयोग विश्व में मानवाधिकार हनन रोकने में असफल रहा है। एमनेस्टी इंटर नेशनल उन्हीं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पिछले अनेक वर्षों से प्रयत्नशील है जिनकी गारंटी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा–पत्र में की गई। आज से 20 वर्ष पहले एमनेस्टी इंटर नेशनल ने 1982 की रिपोर्ट में दर्शाया था कि विश्व के लगभग 120 देशों में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आज विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों में लगभग एक लाख कैदी राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों पर बंदी गृह में रह रहे हैं। इसका मुख्य कारण उन्होंने न्याय, समानता एवं मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई यही उनका दोष था। इस तरह कोन सारीविवा जैसे कवि को भी सूली पर लटकना पड़ा। इसी मानवाधिकार की लड़ाई में तो क्या धर्म की आड़ में इसी तरह मृत्यु दण्ड, कोड़े की मार, पत्थरों की चोट इत्यादि से मानवाधिकारों की होलिका सार्वजनिक रूप से जलाई जाती रहेगी। अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएं तो हमें यह ज्ञात होगा कि अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न देश पर 11 सितम्बर 2011 को आतंकवादियों द्वारा हमला कर सैकड़ों की संख्या में अकाल मृत्य द्वारा कई व्यक्ति मारे गए एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन संबंधी घटनाएं आज किसी से छुपी नहीं हैं। दूसरी ओर अमेरिका द्वारा इराक पर हमला भी मानवाधिकार हनन की व्याख्या करता है।

मानवाधिकार को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसका अर्थ उन अधिकारों से लगाया जाता है जो मानव जाति के विकास के लिए मूलभूत हैं तथा मानव की गरिमा से सम्बद्ध हैं और मानवीय गरिमा के पोषण के लिए आवश्यक हैं। मानवाधिकार मानव के विशेष अस्तित्व के कारण उनसे सम्बन्धित हैं, इसलिए ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इनकी प्राप्ति में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग तथा राष्ट्रीयता बाधक होती है। मानवाधिकार को मूलाधिकार आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। **मानवाधिकार की कोई सर्वमान्य विश्वव्यापी परिभाषा नहीं है,** इसलिए राष्ट्र इसकी परिभाषा अपनी सुविधानुसार देते हैं। विश्व के विकसित देश मानवाधिकार की परिभाषा को केवल मनुष्य के राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों तक ही सीमित रखते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देश मानवाधिकार के अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार को भी शामिल करते हैं। चीन तथा इस्लामी राज्य कहते हैं कि मानवाधिकार की परिभाषा सांस्कृतिक मूल्य के अन्तर्गत दी जानी चाहिए अर्थात् मानवाधिकार में मनुष्यों के सांस्कृतिक अधिकार को भी शामिल किया जाना चाहिए।

आज विश्व मानव के समक्ष मानव अधिकार एक समस्या के रूप में विद्यमान हैं। मानव अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए विश्व स्तर पर

प्रयत्नशील है और तरह-तरह से संघर्षरत् है।

मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। सन् 1215 में मैग्नाकार्टा, सन् 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, सन् 1989 का विल ऑफ राइट्स, सन् 1779 में अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, सन् 1789 में मानव अधिकार सम्बन्धी फ्रांस की घोषणा तथा सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की घोषणा इस परम्परा के महत्वपूर्ण कदम हैं।

व्यक्तियों के रूप में तथा समूह के रूप में मानव के तीन मुख्य तथा अन्तर सम्बन्धित लक्ष्य रहे हैं - जीवन का अस्तित्व, भरण-पोषण व सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिस्थिति का सन्तुलन अर्थात् ताजी वायु, पेयजल, स्वस्थ वातावरण आदि मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। भरण-पोषण के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और यातायात आदि की आवश्यकता होती है। मानव की सुरक्षा के लिए उसके मौलिक अधिकारों की समाज व राज्य द्वारा मान्यता सुनिश्चित करना और उनका उपभोग करने के लिए सामाजिक सहमति एवं वैधानिक आश्वासन आवश्यक है।

मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक मानव को जन्मजात प्राप्त होते हैं और उसके जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। ये अधिकार मानव जीवन और विकास के लिए आधारभूत होते हैं। ऐसे अधिकारों के उपभोग के लिए उचित सामाजिक दशाओं का होना अनिवार्य हैं। ये अधिकार मानव की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन अधिकारों को प्रत्येक राज्य को अपन संविधान तथा कानूनों में सम्मिलित कर लेना चाहिए। मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो कि सभी मनुष्यों को प्राप्त होने चाहिए। मानव जाति के विकास के लिए मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार मिलने ही चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में स्वीकृत मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में मनुष्य के मौलिक अधिकारों को स्वीकृत किया। इनमें राजनीतिक, दीवानी, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का विशुद्ध वर्णन है।

पहली श्रेणी में जिसमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के हैं-

1. विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
2. जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार।
3. कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
4. न्यायिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार।
5. आने-जाने की स्वतंत्रता का अधिकार।
6. देश की सरकार में भागीदारी का अधिकार।

दूसरी श्रेणी में आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं।

यह अधिकार भी महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार प्रत्येक को काम का अधिकार मिलना चाहिए। यह अधिकार जीवन के स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है।

कुछ अधिकार निम्न हैं-

1. आराम और अवकाश का अधिकार।

2. शिक्षा का अधिकार तथा
3. एक जैसे कार्य के लिए मानव वेतन का अधिकार।
4. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन।
5. जातीय भेदभाव को दूर करना।
6. दासता, अत्याचार अमानवीय या निम्न स्तर के व्यवहार से बचाव का अधिकार।
7. सम्पति अर्जित करने तथा अनावश्यक तौर पर उसे खोए जाने से बचाने का अधिकार।
8. शान्तिपूर्वक तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार।

मानव अधिकारों की घोषणा का महत्व यह है कि लोगों में यह जागृति आए कि जब तक नागरिकों को अधिकारों से वंचित रखा जायेगा तब तक वह समाज श्रेष्ठ समाज नहीं कहा जा सकता है।

मानवाधिकार तथा भारत का संविधान-

भारत प्राचीनकाल से ही मानवता और मानवाधिकारों का संवाहक रहा है। भारत में मानवाधिकार हनन ब्रिटिशों के आगमन के समय से ही प्रारम्भ हुआ है। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में मानवाधिकार के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया गया, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण भारत का संविधान है।

भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, रंग तथा वर्ण के बावजूद समान माना गया है तथा सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, सिविल, आर्थिक, सामाजिक, धाार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों को संविधान के भाग-3 में मूलाधिकार शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है। जिसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। इन अधिकारों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है और अधिकार को वापस लिया जा सकता है। यहां तक कि संसद भी संविधान में संशोधन करके इन अधिकारों को अधिहरण नहीं कर सकती। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15(1), 16(1), 19(1) (क), 19(1)(ख), 20, 21, 25 ऐसे हैं जिनमें मानवाधिकारों के संदर्भ में उल्लेख है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रावधान-

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकारों का एक घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। इस घोषणा-पत्र में एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा-पत्र में सभी मनुष्य और राष्ट्रों के लिए समान स्तर की उपलब्ध्ि तथा सभी राष्ट्रों से मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया गया है।

घोषणा-पत्र में कहा गया है कि-

''सभी मानव स्वतंत्र हैं तथा उनकी गरिमा और अधिकार समान हैं।''

1. नागरिक व राजनीतिक अधिकार।
2. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार।

पहले प्रकार के अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता,

सुरक्षा का अधिकार, पराधीनता और दासता से मुक्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आने-जाने, विचार, अन्तःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शासन में भाग लेने तथा सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश का अधिकार है।

दूसरे प्रकार के अधिकारों में सामाजिक सुरक्षा, कार्य करने तथा समाज के सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने इत्यादि के अधिकार सम्मिलित हैं।

मानव अधिकारों के सम्बन्ध में जिन प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र तथा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है और विश्व जनमत का निर्माण करना चाहा है वे इस प्रकार हैं-

1. नारी का अधिकार।
2. बालक के अधिकार।
3. आत्मनिर्णय का अधिकार।
4. विकास का अधिकार।
5. प्रत्येक प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता समाप्त करने का अधिकार।
6. तकनीकी एवं प्राविधिकी विकास से सम्बन्धित मानवाधिकार।
7. प्रवासी कामगारों की सुरक्षा का अधिकार।
8. उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के अमानवीय व्यवहारों से सुरक्षा।
9. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अधिकार।
10. मूल नागरिकों के प्रति भेदभाव दूर करने का अधिकार।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने समस्त मानव-जाति को बिना किसी भेदभाव के मूलभूत मानवीय अधिकार प्रदान किए हैं और इनकी देखभाल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है, जो समय-समय पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर निगरानी रखता है। यह आयोग विभिन्न संगठनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत मामलों की छान-बीन करता है परन्तु इस आयोग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि समय-समय पर विश्व के अनेक भागों में मानवाधिकारों से खिलवाड़ होता रहता है।

एक ओर मानव अधिकारों का संघर्ष चल रहा है तो दूसरी ओर कुछ स्वार्थी मानवता विरोधी संगठनों ने इनका दुरुपयोग आरम्भ कर दिया है। ये संगठन धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर निर्मित हैं या कुछ समाज विरोधी तत्वों ने परस्पर मिलकर खड़े किए हैं। ये लोग खुल्लम-खुल्ला मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, बिहार में आतंकवादी संगठन अपने नापाक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण कर उनको बंधक बनाकर रखते हैं। सार्वजनिक सम्पति स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, पुल आदि को नष्ट कर सामान्य जनता को शिक्षा आदि सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। अपने संगठन को चलाने के लिए जबरन धन वसूली करते हैं और धन न देने पर सरेआम हत्या कर देते हैं।

देश-विदेश में अनेक माफिया गिरोह सक्रिय हैं जिनके लिए किसी की जान लेना अत्यन्त सरल कार्य है। अपहरण करके फिरौती प्राप्त करना तो आज एक व्यवसाय बन गया है।

जब पुलिस ऐसे संगठनों के प्रति सख्त कार्रवाई

करती है तो ये संगठन अल्पसंख्यक होने या धार्मिक या जाति विशेष के संगठन होने के कारणों की दुहाई देते हैं। पंजाब के आतंकवादी जब सामान्य लोगों के मानवाधिकारों का हनन बंदूक की नोंक पर कर रहे थे तब किसी ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष यह मामला नहीं उठाया। जब पुलिस ने जनता को आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त कदम उठाकर आतंकवाद को समाप्त किया तो अब पुलिस को मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी ठहराया जा रहा है। यही स्थिति जम्मू-कश्मीर की है। पाकिस्तान के संकेत पर भाड़े के विदेशी आतंकवादी हत्या, अपहरण, बलात्कार, आगजनी के द्वारा मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती है। यह सब मानवाधिकारों के दुरुपयोग के ही उदाहरण हैं।

भारत में मानवाधिकार-

विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के संदर्भ में बढ़ती जागरुकता को देखते हुए हमारे देश में 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का आयोग है। नवगठित इस आयोग को निम्न अधिकार दिए गए हैं-

1. आयोग किसी परिवाद की जांच करते समय उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनका प्रयोग कोई न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का परीक्षण करते समय करता है।
2. यह साक्षियों को समन कर सकता है तथा उनको समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। इसे किसी दस्तावेज को खोजने तथा पेश करने का आदेश देने, शपथ पर साक्ष्य लेने तथा किसी कार्यालय या न्यायालय से लोक दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करने की शक्ति है।
3. आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना मांगने की शक्ति है, जो उसके लिए उपयोगी हो या जांच की विषय वस्तु से संगत हो।
4. आयोग स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिवाद या लोक सेवक द्वारा ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा की जांच करेगा।
5. आयोग न्यायालय की उस कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है, जो मानवाधिकार के उल्लंघन से सम्बन्धित है, लेकिन आयोग द्वारा यह कार्य न्यायालय की अनुज्ञा से ही किया जा सकता है।
6. राज्य को सूचित करने के बाद आयोग के सदस्य किसी कारागार या किसी संस्थान का दौरा कर सकेंगे, जहां व्यक्तियों को इलाज, सुधार या संरक्षण के लिए निरुद्ध किया गया है। आयोग का यह दौरा निरुद्ध व्यक्तियों की स्थिति का अध्ययन करने तथा सिफारिश करने के प्रयोजन से होगा।
7. आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रावधानित संरक्षण का पुनरावलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय करेगा।

भारत में अभी मानवाधिकार आयोग को काम करते कुछ वर्ष ही हुए हैं और अपनी सीमित स्वायत्तता के बावजूद उसने प्रगति की है। आयोग ने टाडा कानून को वापस लेने की मुहिम छेड़ी है क्योंकि उसका मानना है कि टाडा कानून क्रूर है। पंजाब में पुलिस राज की ओर भी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की है। उसने भारतीय जेलों के बारे में जो रिपोर्ट दी है, उससे इस क्षेत्र में काम करने वाले मानवाधिकारों संगठनों के निष्कर्षों की ही पुष्टि हुई है। आयोग ने इस रिपोर्ट में 'अधिकांश जेलों में अति भीड़ की स्थिति, सफाई में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, अपर्याप्त आहार' तथा इसी तरह की भयानक स्थितियों पर चिंता जतायी है। आयोग ने कहा है- 'विभिन्न कारणों से मुकदमों के निपटारे में देर और जेल के प्रशासन में कुप्रबंध से ये त्रुटियां और भी गंभीर हो जाती है, जिनमें सुधार किए जाने की जरूरत है।'

आयोग ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मानवाधिकारों की शिक्षा देने का मुद्दा भी उठाया है और इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए हैं। यह एक महत्वपूर्ण काम है, पर विवादास्पद भी है। आखिर यह शिक्षा कैसे और किस रूप में दी जायेगी? अगर इसे औपचारिकता से अधिक कुछ बनाना है तो उसके लिए जिस इच्छाशक्ति एवं साहस की जरूरत होगी, क्या वह हमारे प्रशासन में हैं? इससे अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं पर यह अलग चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर भारत में मानवाधिकार आंदोलन अपनी शुरूआती अवस्था में है लेकिन यहां यह जानना होगा कि आम लोगों के स्तर पर इस अवधारणा के प्रति गहरी दिलचस्पी, जागरूकता व आस्था है और आने वाले समय में यह आन्दोलन और सशक्त होकर उभरेगा, ऐसा आन्दोलनकारियों का विश्वास है।

विश्व के अनेक भागों में आज भी असमानता, शोषण, उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश में तो स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध हैं। अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा दयनीय है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो सरकारें ही मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं। सत्य तो यह है कि विश्व का कोई भी देश या मानव समाज अभी तक मानवाधिकारों के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन व उपभोग का आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सका है। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक पद्धतियों में विभिन्न व्यक्तियों को कई कारणों से मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। इसलिए सम्पूर्ण विश्व में ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता है जिनमें मानवाधिकारों के उपभोग और उनकी वैधानिक मान्यता स्वीकृत हो और उनकी सुरक्षा हो। इनके बिना मानवाधिकारों की सभी घोषणाएं केवल कागजी घोषणाएं होकर रह जाएंगी। वे कभी भी साकार रूप धारण नहीं कर पाएंगी।

❑

भारत एवं विदेशों में बालकों के दुरुपयोग का सामाजिक-वैधानिक यथार्थ चित्रण

प्रदीप कुमार शर्मा
निरीक्षक
सी.डी.टी.एस. जयपुर

बालक ईश्वर का रूप होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा ईश्वर मेरे बालकों में है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश एवं आपाधापी की वजह से कालान्तर में मानव जाति द्वारा ही बालकों के दुरुपयोग ने स्थान बना लिया। आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बालकों के विरुद्ध अपराध एवं शोषण के आंकड़े निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और हम बच्चों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर नहीं दे पा रहे हैं।

बालक कौन है?

भारत में बालक की परिभाषा एवं तात्पर्य में हमेशा विवाद एवं बहस होती रही है जिसके बहुत से कारण हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार 13 वर्ष की लड़की एवं 18 वर्ष का लड़का वयस्क माना गया है। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जनगणना में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित अधिकांश योजनाओं एवं कार्यक्रम के लिए 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना जाता है।

जैवकीय आधार पर शिशुता एवं वयस्कता के बीच के स्तर को बचपन माना जाता है। कानून में परिभाषित बालक की उम्र के अतिरिक्त 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को यू.एन.सी.आर.सी. के अनुसार बालक माना गया है। विश्व के विभिन्न देशों में बालकों की परिभाषा में अलग-अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार बालक: धारा 82 के अनुसार 07 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी प्रकार से अपराध के लिए कसूरवार एवं दण्डित नहीं किया जा सकता है यानि कि बालक उसको माना जाता है जिसने 07 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। धारा 83 के अनुसार आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए आयु 07 वर्ष से 12 वर्ष तक निर्धारित की गई है। एक लड़की यदि वह अविवाहित है तो लैंगिक सहमति देने के लिए आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। अपहरण, व्यपहरण आदि में संरक्षण के सम्बन्ध में लड़के की उम्र 16 वर्ष एवं लड़की की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) के अनुसार बालक:- बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उस व्यक्ति को बालक माना गया है जो 06 वर्ष से 14 वर्ष के बीच का है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इसी तरह अनुच्छेद 51(क) कहता है कि 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के माता पिता एवं संरक्षक उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगे।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

अधिनियम 2012 के अनुसार बालकः- इस अधिनियम के अनुसार हर बालक जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान की गई है यानि बालक की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अनुसार बालकः- इस अधिनियम के अनुसार भी बालक या किशोर उसे माना गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए बालक की उम्र का निर्धारण प्रचलित विधान के अनुसार अलग-अलग किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को बालक माना गया है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि भारत में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है।

आयु एवं आपराधिक उत्तरदायित्व का निर्धारणः- प्राचीन काल से ही भारत में बालकों के विरुद्ध अपराध का जघन्य अपराध माना जाता रहा है। शिशु हत्या या बाल वध घोर एवं निकृष्टतम अपराध माना जाता था। बालक एवं नारी के विरुद्ध मात्र हथियार उठाने वाले व्यक्ति को कायर समझा जाता था। कालान्तर में कमोवेश यही स्थिति भारत सहित अन्य प्रजातान्त्रिक देशों में बनी हुई है। कानून समय, काल एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखकर बनाये जाते हैं, जिनको बदलते हुए सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक है। भारत में जब दण्ड संहिता 1860 लागू की गई थी उस समय की स्थिति एवं आज की स्थिति में काफी बदलाव हो चुका है। आज हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती, तस्करी आदि जैसे मामलों में सबसे ज्यादा संलिप्तता 16 से 18 वर्ष तक के बालकों की देखने को मिल रही है कारण यह है कि आज की जीवनशैली एवं वातावरण में किशोर जल्दी वयस्क हो रहे हैं। प्रचलित कानूनों से वह परीवीक्षा का लाभ उठा कर दण्ड से बच रहे हैं जिससे समाज को गहरी क्षति हो रही है। भारत सरकार इस निमित्त कानून में आवश्यक संशोधन कर रही है जिसमें जघन्यतम अपराधों में उन्हीं व्यक्तियों को बालक समझा जायेगा जो 16 वर्ष से कम हों यानि आपराधिक उत्तरदायित्व के दायरे में अब 16 से 18 वर्ष तक के युवा भी आ जाएंगे।

बालकों का उनकी आयु एवं नासमझी की वजह से दुरूपयोग, शोषण, हिंसा एवं प्रतिकार की संभावनाएं विद्यमान होती हैं। आज समाज में बच्चों के विरुद्ध निम्न बुराईयां देखने को मिल रही हैं जिनके कारण हमारी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं वैधानिक व्यवस्था में छिपे हुए हैं:-

1. शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा
2. बाल विवाह
3. बाल श्रम
4. बाल तस्करी
5. बाल बन्धुआ मजदूरी
6. बाल अशिक्षा
7. बाल कुपोषण
8. बालकों की अनुचित देखभाल
9. बाल लैंगिक शोषण
10. बाल भिक्षावृत्ति

11. बाल अंग व्यापार
12. बाल अश्लील चित्र निरूपण
13. बाल अपहरण एवं व्यपहरण
14. शिशु हत्या
15. कन्या भ्रूण हत्या
16. बाल दुष्प्रेरण
17. बाल दासता
18. बाल लिंग पर्यटन
19. बाल आत्महत्या दुष्प्रेरण
20. बाल वेश्यावृत्ति
21. बाल परित्याग

बालक के सम्पूर्ण विकास में परिवार, समाज, कानून एवं सरकार की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। यह इनको अच्छा नागरिक बनाने एवं समाज का मजबूत स्तम्भ बनाने में मदद करते हैं।

परिस्थितियां जिनमें बालक का जीवन अभिशाप बन जाता है:-

क) माता पिता के न्यायिक अलगाव हो जाने पर

ख) माता पिता के विवाह विच्छेद या विघटन हो जाने पर

ग) माता पिता के विवाह से पूर्व बच्चे के जन्म होने पर

घ) बालक के पितृत्व का निर्धारण नहीं होन पर

ड़) बालक के अनाथ हो जाने पर

च) बालक के गुम हो जाने पर

छ) बालक के दृष्टिहीन, अपंग एवं दुर्बल हो जाने पर

ज) बालक के दत्तक ग्रहण के बाद दुराचार होने पर

बालकों के अधिकार (यू.एन.सी.आर.सी. के अनुसार):-

1. दमन या भेद-भाव से छुटकारे का अधिकार
2. सर्वश्रेष्ठ हित में कार्यवाही का अधिकार
3. जीवन में विकास का अधिकार
4. पहचान एवं राष्ट्रीयता का अधिकार
5. पारिवारिक सम्बन्ध एवं माता पिता से संरक्षण का अधिकार
6. अवैध स्थानान्तरण एवं अवैध दत्तक ग्रहण से संरक्षण का अधिकार
7. अभिव्यक्ति, विचार, मत, धर्म, संघ एवं शांतिपूर्ण सभा का अधिकार
8. निजता, घर, परिवार एवं वार्तालाप में संरक्षण का अधिकार
9. उचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार
10. दुरुपयोग एवं प्रतिकार से संरक्षण का अधिकार
11. विशेष देखभाल, संरक्षण एवं सहायता पाने का अधिकार
12. सशस्त्र संघर्ष में संरक्षण का अधिकार
13. स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार
14. सामाजिक सुरक्षा योजना में लाभ पाने का अधिकार
15. गरिमापूर्ण जीवन स्तर पाने का अधिकार
16. संस्कृति, कला, खेल, मनोरंजन एवं थकान मिटाने का अधिकार
17. शोषण, मादक पदार्थ दुरुपयोग से संरक्षण पाने का अधिकार
18. गुलामी एवं उत्पीड़न से संरक्षण पाने का अधिकार

19. किशोर न्याय एवं प्रतिष्ठा पाने का अधिकार (भले ही कोई कानून का उल्लंघन किया हो)

फुटपाथ एवं गलियों में रहने वाले लावारिस एवं बेसहारा बच्चों के शोषण की उच्च सम्भावना होती है क्योंकि उनके संरक्षण का अभाव होता है। प्रतिवर्ष करीब 10 लाख बच्चों को वेश्यावृत्ति, तस्करी, लैंगिक शोषण का शिकार बनाया जाता है तथा बाल नग्न तस्वीर बनाने के धंधे में इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिवर्ष हजारों बालिकाओं को भारत, नेपाल, म्यामार, भूटान एवं थाईलैंड से बाहर के देशों में ले जाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। ये ही बालिकाएं सुरक्षित लैंगिक सम्बन्ध के अभाव में एच.आई.वी./एड्स की शिकार ज्यादा होती हैं क्योंकि वे सुरक्षित लैंगिक सम्बन्ध के बारे में जानती ही नहीं और न ही कोई प्रतिरोध कर सकती हैं। वेश्यावृत्ति एवं मादक पदार्थों के व्यसन का गहरा सम्बन्ध है। सबसे पहले बच्चों में मादक पदार्थ का व्यसन/आदत डाली जाती है फिर आसानी से वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जाता है।

इंटरनेट का दुरुपयोगः- बालकों की नग्न फोटोग्राफी, लैंगिक पर्यटन की सूचना एवं दुल्हनों की उपलब्धि की सूचना खुले रूप से आज इन्टरनेट पर उपलब्ध है। बालकों की तस्करी करने वाले गिरोहों, दलालों एवं लूटमार करने वाले व्यक्तियों के बीच आसानी से इन्टरनेट के माध्यम से सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति से बालकों की नग्न फोटोग्राफी जैसे अपराधों का करना आसान, सुलभ एवं सस्ता हो गया है और इनको पता लगाना भी आसान नहीं होता है। यह उद्योग एक कमरे में बैठकर किया जा सकता है और अपराधी करोड़ों रुपये इससे कमाते हैं। एक बार यदि इन्टरनेट पर बाल नग्न तस्वीर डाल दी जाती है तो इसको नष्ट करना आसान नहीं होता है।

लिंग पर्यटन उद्योगः- यह उद्योग भारत सहित दुनिया के कई देशों में तेजी से फैलता जा रहा है। थाईलैण्ड इस उद्योग के लिए जाना पहचाना नाम है जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग इस उद्योग का आनन्द उठाने के लिए आते हैं। यह एक संगठित अपराध है। हाल ही दिल्ली में एक ऐसे ही रैकेट को पकड़ा गया था जिसमें विदेशी भी शामिल थे। अपर्याप्त विधान एवं न्यायिक व्यवस्था में कमी इसके मुख्य कारण हैं जिसका फायदा उठाकर इस प्रकार का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्ति बालकों को विकसित देशों में ले जाते हैं और जोखिम से बच जाते हैं।

बालकों के दुरुपयोग एवं शोषण के कुछ दुविधापूर्ण परिणामः-

क) कई बार जिन बच्चों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारा जाता है उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है।

ख) लैंगिक शोषण का शिकार बच्चों को अपमानित किया जाता है जिसकी वजह से अनुसंधान एवं अभियोजन कार्यवाही के दौरान उनकी अवचेतन एवं भयग्रस्त स्थिति हो जाती है।

ग) तस्करी के शिकार बच्चों को अस्वास्थ्यकर एवं जोखिमपूर्ण कार्य में लगा दिया जाता है और उनकी पहचान तक लुप्त कर दी जाती है।

घ) ऐसे बच्चे जिनको घर से हटाकर बाल सुधार संस्थाओं में रखा जाता है वे समुदाय एवं समाज से कट जाते हैं जिनसे उनका सामाजीकरण नहीं हो पाता है। उनको वहां वह प्यार नहीं मिलता जिनके वो हकदार है। कई बार उनको वहां शारीरिक दण्ड भी दिया जाता है। इससे इतर सुधार गृहों में लैगिंक शोषण के मामले भी प्रकाश में आते रहते हैं।

बाल श्रम का सामाजिक दुष्प्रभावः- बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है तथा उन देशों से बालकों को ज्यादा लाया जाता जहां गरीबी है। इस प्रकार से लाये गये बच्चों से कठोर श्रम कराया जाता है। अधिकाशंतः उनसे जोखिमपूर्ण कार्य करवाया जाता है। उन बच्चों को चूड़ी, आरीतारी, गलीचा, भिक्षावृत्ति, मालिश, जेबतराशी, पोलीथिन की थैली चुनने एवं अन्य उपयोगी कचरा चुनने के काम में लगाया जाता है। आपने एक बच्चे को भारी वजन का कचराबैग को कन्धे पर उठाते एवं कचरे की तलाश करते हुए जरूर देखा होगा। घरेलू श्रम, जलाऊ लकड़ी को इकट्ठा करना एवं गलियों में सामान बेचना आदि श्रम के अन्य उदाहरण हैं।

बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों एवं व्यवसायों में संलग्न होने की वजह से विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होना पड़ता है। बालकों का शरीर इतना मजबूत नहीं होता कि वे भारी बोझ उठा सकें एवं जलती भट्ठियों की आंच को सह सकें। यदि बाल श्रमिकों के द्वारा किया गया कार्य गैर खतरनाक कोटि का है तो भी वयस्कों की तुलना में बालकों का शोषण अधिक होता है। घरेलू नौकरों और छोटे-छोटे होटलों या ढाबों आदि में काम करने वाले बच्चों को नियोजकों द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाता है और इतने गन्दे कार्य कराये जाते हैं कि उनके हाथों व पैरों की अंगुलियां सड़ने लगती हैं। असामाजिक तत्व भी तरह-तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनका यौन शोषण करके कई बीमारियां देते हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग में कार्य करने वाले बच्चे जिनमें ज्यादातर से पालिश करवाई जाती है, जल्दी मृत्यु का शिकार होते हैं, क्योंकि इस उद्योग में कार्य करने से उन्हें टी.बी. रोग हो जाता है। उत्तर प्रदेश के 2 सबसे ज्यादा टी.बी. रोगग्रस्त शहरों में से मुरादाबाद एक है। मुरादाबाद के डाक्टरों से जानकारी मिली है कि बीमारी के लक्षण पहचान लिए जाने के बाद भी वे मरीज मजदूर पुनः उनके पास नहीं आते। उनको वे सलाह भी देते हैं कि वे अपना व्यवसाय बदल दें तथा अपनी खुराक में सुधार करें लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते इसलिए उनमें बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और अधिकांश की मृत्यु 30-40 वर्ष में ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त शोर करने वाले यंत्रों एवं मशीनों पर कार्य करने वाले बच्चों में अधिकतर श्रवण सम्बन्धी विकार हो जाते हैं और धूल की वजह से उन्हें नजला हो जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने में सिलिका का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है।

अलीगढ़ में ताला उद्योग में लगे बालकों खासकर पालिश करने वालों में ह्दय रोग हो जाता है। ताला उद्योग में इलैक्ट्रोप्लेटिंग तार से जुड़े बालकों को खतरनाक रसायनों के साथ काम करना पड़ता है। एसिड की गन्द से उन्हें सिर दर्द हो जाता है। उनकी चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था नहीं

होती। धूल के कणों की वजह से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं जिससे बालकों की कार्य करने की क्षमता घट जाती है। चूड़ी उद्योग में लगे बच्चों का उन भट्टियों पर काम करना पड़ता है जिनका तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा वहां आवाज भी तेज होती है। अत्यधिक गर्मी, शोर एवं धूल के कारण अधिकांश बच्चे टी.बी. के शिकार हो जाते हैं और उनकी जिंदगी के 15-20 वर्ष कम हो जाते हैं। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग में लगे अधिकांश बच्चे 35 से 40 वर्ष तक कार्य करने में समर्थ होते हैं और बाद में अन्य पर निर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार बाल श्रम का अनन्त सिलसिला चलता रहता है। इनका कारण केवल अशिक्षा ही है, क्योंकि देश में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण बहुत सारे बालक अल्पायु में ही काम प्रारम्भ कर देते हैं और वे प्राय: शोषकों द्वारा शोषित होते हैं।

हम आज देखते हैं कि भारत सहित दुनिया के सभी देशों में बालकों के दुरुपयोग की रोकथाम एवं वैधानिक संरक्षण के लिए कई सार्थक पहल की गई है। समय-समय पर आवश्यक एवं कठोर विधान बनाए गए हैं। बच्चे के गर्भ में होने से लेकर 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक समुचित संरक्षण एवं विकास के बहुत से कानूनी प्रावधान हैं लेकिन यथार्थ में स्थिति में आज भी आशातीत सुधार नहीं हुआ है। भ्रूण हत्या, अशिक्षा, बाल श्रम, एवं बाल शोषण की घटनाएं नित प्रकाश में आ रही हैं और कितनी घटनाएं ऐसी कि उन्हें समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं वैधानिक प्रावधानों के डर से दबा दिया जाता है।

सरकार ने 14 वर्ष तक के बालक के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का कानून बनाया है लेकिन आज भी करोड़ों की संख्या में ऐसे बालक हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। यदि जिम्मेदार हैं तो कितनों को इसके लिए दण्डित किया जा सका है। कठोर कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला अनवरत जारी है। हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति और भी भयानक है। बाल श्रम एवं शोषण के विभिन्न रूप आज भी समाज में व्याप्त हैं। कारण है कि समाज में आज भी अधिकांश लोगों ने इस कृत्य को मौन स्वीकृति दे रखी है जिसकी वजह से कठोर कानून का वह प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है जो उनके बनाने के पीछे की मंशा रही है।

बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत केन्द्र व राज्य सरकारों को किसी प्रतिष्ठान या व्यवसाय में काम करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए नियमावली बनाने का अधिकार है यानि कार्यस्थल, रद्दी के निष्पादन, सफाई, रोशनदान एवं तापमान, धूल एवं धुआं, कृत्रिम नमी, प्रकाश, पीने के पानी, शौचालय एवं मलमूत्र, थूकदान, मशीनों की घेराबन्दी, खतरनाक मशीनों में लगे बच्चों का प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण, बिजली काटने की पद्धति, स्वचालित मशीनों, सीढ़ी एवं पहुंच के साधन की व्यवस्था, गड्डे तथा अत्यधिक भार के बारे में, आंखों की सुरक्षा, ज्वलनशील गैस एवं धुएं से सुरक्षा, आग से सावधानी, भवन का रखरखाव आदि पर नियम बनाने का अधिकार है परन्तु भारत के अधिकांश राज्यों में इन नियमों का निर्माण ही नहीं किया गया है और जिन राज्यों में निर्माण किया भी गया है तो उन नियमों का कड़ाई से

पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अभाव में बालकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

पश्चिमी देशों में बालकों की स्थिति:- इन देशों में स्थिति भारत से भिन्न है। बालकों की शिक्षा, भरण-पोषण एवं रोजगार की गारंटी वहां की सरकार की होती है। इसलिए वहां बालकों की अशिक्षा, कुपोषण एवं बेकारी की स्थिति प्रायः नगण्य है। बेहतर शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता की वजह से वहां बालकों के दुरुपयोग की स्थिति भी भारत से कमतर है। दूसरी तरफ भारत जैसी स्थिति वाले एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि तथा भुखमरी के शिकार सूडान, कम्बोडिया एवं अन्य अफ्रीकी देशों की स्थिति लगभग भारत जैसी ही है। हजारों बच्चे इन देशों से तस्करी करके बाहर के देशों में यौन शोषण एवं बाल श्रम के लिए ले जाते हैं। जिन देशों में बालकों की सामाजिक सुरक्षा की ठोस योजनाएं हैं और उनका प्रभावी क्रियान्वयन है वहां बालकों के दुरुपयोग की संभावनाएं क्षीण होती हैं।

कैमल जौकी:- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इरान, सूडान आदि देशों के संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे खाड़ी देशों में बच्चों की तस्करी की जाती है। वहां बालकों के कैमल जौकी का कार्य करवाया जाता है। चूंकि बच्चों का वजन कम होता है इसलिए उनको ऊंट पर बैठाया जाता है और ऊंट दौड़ करवाई जाती है। दौड़ के दौरान कई बच्चे गिर कर घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। तस्करी कर लाये बच्चों को कैमल फार्म में रखा जाता है एवं वजन कम करने के लिए कम खाना दिया जाता है। इन बच्चों पर कई अत्याचारी एवं लैंगिक शोषण भी होता है। हालांकि 1993 से संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में बच्चों को दौड़ में नियोजित करना प्रतिबन्धित कर दिया है।

सऊदी अरब के शेख एवं हज:- सऊदी अरब के अमीर शेख भारत, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के गरीब मुस्लिम परिवारों की नाबालिग लड़की से विवाह रचा कर साथ ले जाते हैं या फिर लड़कियां तस्करी कर वहां ले जाई जाती हैं और मोटी रकम पर इन शेखों को बेच दिया जाता है जहां पर उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण होता है। हज के दौरान बच्चों से भीख मंगवाने के लिए बड़ी संख्या में सऊदी अरब में बच्चों की तस्करी होती है।

बालकों के विरुद्ध अपराध के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार आंकड़े - भारत में बालकों के विरुद्ध अपराध की कोई अलग से श्रेणी नहीं है। सामान्यतः वे अपराध जिसके शिकार/पीड़ित बच्चे होते हैं उनको बालकों के विरुद्ध अपराध कहा जाता है। ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें पीड़ित एवं शिकार बच्चे होते हैं उनको समझने के दृष्टिकोण से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:-

1. बालकों के विरुद्ध किये गये अपराध जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है और दण्डनीय है।

2. बालकों के विरुद्ध किये गये अपराध जो अन्य विशेष एवं स्थानीय विधान में वर्णित हैं और दण्डनीय हैं।

बालकों के विरुद्ध अपराध एवं 2010 की तुलना में 2011 में हुए अपराध में भिन्नता

क्र. सं.	अपराध शीर्षक	वर्ष			2010 की तुलना में 2011 में हुए अपराध में भिन्नता
		2009	2010	2011	
01.	हत्या	1488	1408	1451	03
02.	शिशु हत्या	63	100	63	−37
03.	बलात्कार	5368	5484	7112	30
04.	अपहरण एवं व्यपहरण	8945	10670	15284	43
05.	भ्रूण हत्या	123	111	132	19
06.	आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण	46	56	61	09
07.	लावारिश एवं खुले में छोड़ना	857	725	700	−03
08.	नाबालिक लड़की को प्राप्त करना/खरीदना	237	679	862	27
09.	लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना	32	78	27	−65
10.	लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना	57	130	113	−13
11.	अन्य अपराध (बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 सहित)	6985	7253	7293	01
	कुल	**24201**	**26694**	**33098**	**24**

उपर्युक्त आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त हैं।

राज्यवार बालकों के विरुद्ध अपराध के आंकड़े

क्र. सं.	राज्य	भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	2010 में भारत में हुए कुल अपराधों का प्रतिशत भाग	2011 में भारत में हुए कुल अपराधों का प्रतिशत भाग
01.	दिल्ली	1.4	12.8	13.6
02.	महाराष्ट्र	9.3	10.2	12.2
03.	आन्ध्रप्रदेश	7.0	6.7	6.8
04.	बिहार	8.6	6.7	6.9
05.	छत्तीसगढ़	2.1	5.4	5.5
06.	राजस्थान	5.7	4.5	4.9
07.	केरल	2.8	4.4	2.2
08.	पश्चिम बंगाल	7.5	4.4	3.3
09.	गुजरात	5.0	3.4	3.8
10.	उत्तर प्रदेश	16.5	16.6	8.7
11.	मध्य प्रदेश	6.0	13.2	18.4
12.	अन्य राज्य	28.2	11.7	13.7

उपर्युक्त आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त हैं।

महत्वपूर्ण शब्दों के संक्षिप्त रूप एवं उनका हिन्दी रूपांतरण एवं किशोर न्याय व्यवस्था के तहत प्रयोग की जाने वाली शब्दावली

जे.जे.बी.	जवैनाइल जस्टिस बोर्ड	किशोर न्याय बोर्ड
सी.डब्ल्यू.सी.	चाइल्ड वैलफेयर कमेटी	बाल कल्याण समिति
एन.जी.ओ.	नान गोरमैन्टल आर्गेनाईजेशन	गैर सरकारी संगठन
एम.डब्ल्यू.सी.डी.	मिनिस्ट्री ऑफ विमन एंड चाइल्ड वैलफेयर डिपार्टमैन्ट	महिला एवं बाल कल्याण विभाग मंत्रालय
एन.सी.डब्ल्यू.	नेशनल कमीशन फार विमन	राष्ट्रीय महिला आयोग
डी.सी.आर.	डिपार्टमैन्ट ऑफ चाइल्ड राईट	बाल अधिकार विभाग
एस.एल.एल.	स्पेशल एंड लोकल लॉ	विशिष्ट एवं स्थानीय विधान
एस.जे.पी.यू.	स्पेशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एन.सी.पी.सी.आर.	नेशनल कमीशन फार प्रोटक्शन ऑफ चाईल्ड राईट	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एस.सी.पी.सी.आर.	स्टेट कमीशन फार प्रोक्टशन आफ चाईल्ड राईट	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
यू.एन.सी.आर.सी.	यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन आन दी राईट ऑफ चाईल्ड	बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन
जे.जे. एक्ट	जुवेनाईल जस्टिस एक्ट	किशोर न्याय अधिनियम
पी.ओ.सी.सी.ओ. एक्ट	प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्शुअल आफैन्सेज एक्ट	लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)
एस.सी.पी.यू.	स्टेट चाईल्ड प्रोटक्शन यूनिट	राज्य बाल संरक्षण इकाई
सी.डब्ल्यू.ओ.	चाईल्ड वैलफेयर ऑफिसर	बाल कल्याण अधिकारी
वी.सी.एफ.	विक्टिम कम्पन्शेशन फण्ड	पीड़ित प्रतिकर निधि
जे.जे.एफ.	जुवेनाईल जस्टिस फण्ड	किशोर न्यायालय निधि

किशोर न्याय व्यवस्था के तहत प्रयोग की जाने वाली शब्दावली

अनुचित	उचित
आरोपी, अपराधी, अपचारी	विधि से संघर्षरत किशोर
गिरफ्तार	निरुद्ध
पुलिस अनुसंधान	पुलिस जांच
किशोर अदालत/न्यायालय	किशोर न्याय बोर्ड
वेश्यावृत्ति में लिप्त बच्चे	देखभाल एवं संरक्षण के आवश्यकता वाले बच्चे
बाल अदालत/न्यायालय	बाल कल्याण समिति
बाल सुधार गृह	सम्प्रेषण गृह/बाल गृह
हिस्ट्रीशीटर	रिपीटर
किशोर का भागना	किशोर का पलायन

❑

पुलिस अधिकारियों का नागरिक केन्द्रित व्यवहार व उसका प्रशिक्षण

हाकिम राय
पुलिस उपाध्यक्ष (सेवानिवृत)
उ.प्र. पुलिस, मुरादाबाद

भारतवर्ष के संविधान के अनुसार केन्द्र व विभिन्न राज्यों में प्रजातांत्रिक प्रणाली की सरकारें कार्यरत हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली की सरकार में जनप्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं व उन्हीं में से बहुमत वाले दल से सरकार का गठन किया जाता है जिसके द्वारा देश व प्रदेश के शासन को चलाने का कार्य किया जाता है। प्रत्येक राज्य में सरकार की नीतियों व जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समाज में शांति व्यवस्था कायम होना अति आवश्यक है जिसके अभाव में कोई भी विकास कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता है। जनपदों में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वरिष्ठ व कनिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त रहते हैं जो अपने विभाग के कार्य के सम्बन्ध में जनता के सम्पर्क में अधिक आते हैं। इन पुलिस अधिकारियों के कार्य, आचरण व सत्यनिष्ठा के द्वारा ही केन्द्र या राज्य की सरकारों के बारे में आम व्यक्तियों की धारणा बनती व बिगड़ती है। यदि पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित व व्यवहार कुशल हैं तो आम व्यक्तियों की धारणा सरकार के बारे में अच्छी बनती है और यदि वह अधिकारी भ्रष्ट, लापरवाह व दुराचरण करने वाले हैं तो सम्बन्धित विभाग व सरकार के बारे में गलत धारणा आम लोगों की बन जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों के अच्छे व बुरे कार्य व आचरण का प्रभाव सरकार पर पड़ता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि राजतंत्र के मुकाबले में प्रजातंत्र के शासन में कार्य करने में पुलिस अधिकारी का जनता के साथ कभी भूल करके भी कोई अवांछनीय या विधि विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए अपितु अपने कार्य में जनसहभागिता को सम्मिलित करके पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। किसी व्यक्ति को राजकीय सेवा में आ जाने के बाद यह नहीं भूलना चाहिए कि वह स्वयं भी उसी समाज का ही अंग है और उसको वह पद व अधिकार जनता की सेवा के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने कार्य, आचरण व सत्यनिष्ठा को उच्चकोटि का बनाए रखना चाहिए क्योंकि आचरण नियमावली के अनुसार उसके द्वारा ऐसा करना अनिवार्य बना दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अच्छे व्यवहार से उसका स्वयं का भी हित है व उसके विभाग का भी हित शामिल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोकसेवकों विशेष रूप से पुलिस विभाग के अधिकारियों के व्यवहार को जनोन्मुखी बनाया जाए जिससे पुलिस विभाग व सरकार के बारे में कोई विपरीत धारणा न बनने पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों को सेवा में प्रवेश-कालीन नागरिक केन्द्रित व्यवहार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता व उद्देश्य- पुलिस विभाग

में प्रवेश करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभावी जनसेवा प्रदान करने के लिए स्वाभाविक योग्यता उत्पन्न करने के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है:-

1. उनका व्यवहार नागरिक केन्द्रित बनाना।
2. जनता के साथ व्यवहार करने में समान अनुभूति व संवेदनशीलता को बढ़ाना।
3. उत्तरदायित्व को बढ़ाना।
4. निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना।
5. सुनने, बोलने व प्रस्तुति करने सम्बन्धी प्रभावी संवाद को बढ़ाना।
6. समस्याओं को सुलझाने व रचनात्मक सोच की योग्यता को बढ़ाना।
7. विवाद के सुलझाने की योग्यता को बढ़ाना।
8. समय प्रबन्ध की योग्यता को बढ़ाना।
9. अपने साथ काम करने वालों में टीम भावना को बढ़ाना।
10. संगठन में एक दूसरे की योग्यता को बढ़ाना।

अच्छे पुलिस अधिकारी की विशेषताएं

1. संवाद करने में निपुण हो और अपनी बात को स्पष्ट, संक्षेप व उत्तरदायी ढंग से कह सके।
2. स्वप्रेरणा से काम को प्रारम्भ करने की पहल करता हो।
3. कठिन परिश्रम करने वाला हो।
4. व्यवस्थापक, निर्णायक व प्रभावी रूप से सुनने वाला हो।
5. अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर काम करता हो।
6. दूसरों की सहायता करता है।
7. सत्यनिष्ठ हो।
8. नियमों का पालन करता हो, प्रेरित करता हो व मामले को सही व उचित प्रकार से निपटाता हो।
9. अनुशासित व समय का पालन करता हो।
10. बेकार की बातों में समय न गंवाता हो।

पुलिस अधिकारियों का आगुन्तकों के साथ व्यवहार

सरकारी सेवक को लोकसेवक भी कहा जाता है। लोकसेवक के होने का उद्देश्य है कि वह सेवा करे। उसे अपने को एक विशेष व्यक्ति की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए अपितु सदैव सेवा के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना चाहिए। अच्छी ख्याति कई कार्य करने के बाद प्राप्त होती है परन्तु वह ख्याति एक कार्य से समाप्त हो सकती है।

पुलिस अधिकारियों को मिलने वाले आगन्तुकों की श्रेणियां - लोकसेवक को मिलने वाले लोग समाज के विभिन्न वर्गों के होते हैं। इन आगन्तुकों को मोटे रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. अतिविशिष्ट व्यक्ति
2. केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी

3. केन्द्र व राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी
4. सेवानिवृत्त अधिकारी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
5. मीडिया (टी.वी., रेडियो, अखबार) से संबंधित व्यक्ति
6. व्यापारी वर्ग के लोग
7. धार्मिक प्रमुख व्यक्ति व पुरोहित
8. वृद्ध, अपंग व अन्य व्यक्ति जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो
9. महिलाएं व बालक
10. सामान्य जनता के लोग

आगन्तुकों से व्यवहार का तरीका - आगन्तुकों के साथ व्यवहार करते समय व्यक्तिगत गुण अपने लिए व विभाग के लिए एक सम्पदा की तरह साबित होते हैं जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं:-

1. **आगन्तुकों के साथ व्यवहार करते समय एक सामान्य सौम्यता बरती जाए** जिसकी एक लोकसेवक से अपेक्षा की जाती है। यद्यपि पूरे दिन कार्य के दबाव के कारण चेहरे पर मुस्कान रखना संभव नहीं है परन्तु जब कोई व्यक्ति मिलने आए तो जहां तक संभव हो उसका मुस्कान के साथ अभिवादन किया जाए। लोकसेवक का यह छोटा सा कार्य उस आगन्तुक की समस्या के बोझ को कुछ हद तक कम कर देगा। उपेक्षापूर्ण व्यवहार से उस पुलिस अधिकारी के साथ साथ पूरे विभाग की छवि धूमिल हो जाती है।

2. **आगन्तुक की समस्या को धैर्य पूर्वक सुनने की आदत को विकसित करना चाहिए।** किसी कार्य में सहायता न करने की बात को बिना क्रोधित हुए या सख्त भाषा प्रयोग किए बिना आगन्तुक को सही तरीके से बता देना चाहिए।

3. **पुलिस को यह शक्ति विकसित करनी चाहिए कि वह आगन्तुक की भावनाओं का समझ सके।** जब कोई किसी अन्य व्यक्ति के जूते में पैर डालता है तो उसे यह ज्ञात होता है कि वह जूता कहां पर काटता है। किसी की भावनाओं को जानकर ही कोई भी लोकसेवक किसी की समस्या के आकार को समझ सकता है उस समस्या को सुलझाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

4. **अतिविशिष्ट व्यक्ति व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार**- ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से पहले से समय बता कर आते हैं। यदि वह समय से पहले आ जाते हैं तो उन्हें आगन्तुक कक्ष में बिठाया जाय व चाय, काफी आदि दी जाए। अतिविशिष्ट व्यक्तियों व वरिष्ठ अधिकारियों को गेट पर अभिवादन करने व उन्हें जाते समय गेट पर जाकर छोड़ने में पुलिस अधिकारी को संकोच नहीं करना चाहिए। उनके आने के समय के बारे में स्वागत कक्ष में पहले से निर्देश दे देने चाहिए।

5. **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ व्यवहार** - जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व सेवानिवृत्त अधिकारियों ने देश की सेवा के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम समय दिया है। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारियों को उनके

प्रति वांछित सम्मान प्रकट करना चाहिए। उनको समस्त सम्भव सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि उनकी समस्या का सम्बन्ध किसी और विभाग से हो तो उन्हें उसके बारे में ठीक प्रकार से बता देना चाहिए।

6. **मीडिया (टी.वी., रेडियो व अखबार) से संबंधित व्यक्तियों के साथ व्यवहार** - इनसे व्यवहार करते समय पुलिए अधिकारियों को अपने मस्तिष्क को चेतन रखना चाहिए अर्थात सावधानी बरतनी चाहिए जो निम्न प्रकार की हो सकती है:-

   (क) उनके सामने टेलीफोन पर कोई विभाग सम्बन्धी वार्ता न करें।

   (ख) कोई ऐसी बात न कहें जो विभाग के लिए परेशानी का कारण हो सकती है।

7. **व्यापारी वर्ग के साथ व्यवहार** - इनके साथ विनम्रता का व्यवहार किया जाए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी भारतवर्ष के सम्पूर्ण विकास के प्रयत्न का एक हिस्सा है। इनकी समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनकर उनके निराकरण हेतु प्रयास किए जाए। व्यापारी वर्ग में एकता होती है और समस्याओं के निदान न होने या विलम्ब होने पर यह बाजार बन्द करके विरोध प्रदर्शन व जुलूस निकाल सकते हैं।

8. **प्रत्येक धर्म के प्रमुख व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार** - भारतवर्ष एक धर्म निरपेक्ष देश है और प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास के होने पर भी प्रत्येक धर्म के प्रमुख व्यक्तियों व पुरोहितों को वांछित सम्मान देना चाहिए। उनके साथ जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों के विरुद्ध माना जाएगा।

9. **वृद्ध व अपंग व्यक्ति के साथ व्यवहार** - यदि ऐसा कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के भी मिलने आते हैं तो उनको बहुत देर तक इन्तजार नहीं कराना चाहिए। उनकी समस्या को व उनके आने के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनको यह आश्वासन दिया जाए कि जो सूचनाएं उनसे प्राप्त की जा रही हैं वह उनकी सहायता से उनकी प्रार्थना पर कार्य करने में सहायता मिलेगी। लोकसेवक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए वह व्यक्ति किस-किस माध्यम को मिल चुका है व उसका क्या परिणाम रहा। उनको यथोचित सम्मान दिया जाए व उन पर ध्यान दिया जाए। यदि उनको कोई तथ्य ज्ञात नहीं है तो उस तथ्य को उन्हें सहायता की दृष्टि से बता देना चाहिए।

10. **जनसाधारण के साथ व्यवहार** - जनसाधारण के साथ व्यवहार करते समय यह बात ध्यान में रखी जाए कि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास तब आता है जब वह विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों से अपनी समस्या के समाधान के लिए मिल चुका होता है। उसको कोई समस्या है और या तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय में विलंब हो रहा है। इस प्रकार के आगन्तुक को बैठने का स्थान दिया जाए व उसको सहज

स्थिति में लाया जाए। उनके साथ निम्नलिखित प्रकार का व्यवहार किया जाए:-

(क) यदि अधिकारी आगन्तुक 'क' मामले को नहीं देख रहा है तो उसे सही अधिकारी के पास जाने के लिए बता देना चाहिए व उसको यह न कहा जाए कि **''मैं नहीं जानता''** या **''मैं क्या कर सकता हूं''** या **''यहां से जाओ''** आदि।

(ख) यदि समस्या को सुलझाने में समय लग रहा हो या और समय लगने की सम्भावना हो तो यह बात सही तरीके से आगन्तुक को समझा देनी चाहिए।

(ग) यदि कोई आगन्तुक आता है व अधिकारी किसी काम में व्यस्त है तो आगन्तुक को पहले सुना जाए व काम बाद में किया जाए।

पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को सुनना (Listening) आगन्तुकों को सुनने (Listening) के आवश्यक तत्व

1. किसी बात को किसी उद्देश्य से सुनना।
2. किसी की बात को ध्यान से सुनना।
3. किसी की बात को सुनने के तीन चरण होते हैं- सुनना, समझना व निर्णय लेना।
4. किसी व्यक्ति को सुनना, सुनने वाले की तीन मौलिक योग्यताओं पर निर्भर होता है-सुनने वाले का दृष्टिकोण, ध्यान व तालमेल।

सुनने के प्रकार

1. सक्रिय/प्रभावशाली रूप से सुनना।
2. कुछ मुख्य बातों को सुनना।
3. निष्क्रिय रूप से सुनना।
4. प्रलक्षित रूप से सुनना।

सक्रिय या प्रभावशाली सुनने का अर्थ

1. यह किसी अन्य व्यक्ति को सुनने व उत्तर देने का तरीका है जिसके द्वारा परस्पर समझदारी बढ़ती है।
2. यह किसी अन्य व्यक्ति पर ध्यान देने का तरीका है जिससे उनको ऐसा प्रतीत हो कि उन्हें किसी अधिकारी के द्वारा सुना जा रहा है।
3. इस प्रकार के सुनने को सक्रिय रूप से सुनना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए सुनने वाले का एक निश्चित आवरण होना आवश्यक होता है।

पुलिस अधिकारी को सक्रिय रूप से किसी को सुनने में क्या करना होता है?

1. ध्यानपूर्वक सुनना, उत्तर देना व समझाना।
2. जानकारी स्पष्ट करने के लिए प्रश्न करना व मुख्य बिन्दु वक्ता को बताना।
3. कम अवरोध के साथ वक्ता को अपनी बात कहने का समय देना।
4. वक्ता द्वारा कही जाने वाली बात पर ध्यान केन्द्रित करना।

5. वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का अर्थ समझना।
6. वक्ता के विचारों को समझने का प्रयास करना।
7. बिनी किसी विपरीत भावना के सुनना।
8. सर्व प्रथम सुनना व समझना व उसके पश्चात् उत्तर देना।

सक्रिय रूप से किसी को सुनने के क्या लाभ हैं?

1. यह लोगों को ध्यान से दूसरों को सुनने के लिए विवश करता है।
2. यह लोगों से अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है।
3. यह संवेदना प्रकट करता है।
4. यह सम्बन्धों को बनाता है।

अच्छे सुनने वाले पुलिस अधिकारी से तात्पर्य

1. अच्छा सुनने वाला अधिकारी वक्ता द्वारा कही जाने वाली बात को समझने का प्रयास करता है।
2. सुनने के बाद वह वक्ता से असहमत हो सकता है परन्तु उसे असहमत होने से पूर्व यह जानने का प्रयास करता है कि वह किस कारण से वक्ता के साथ असहमत है।

अच्छे संवादकर्ता पुलिस अधिकारी के गुण

पुलिस अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के उत्तेजित जनसमूहों से कई अवसरों पर वार्ता करनी होती है जिससे वह शांत हो जाए व कोई अप्रिय घटना न होने पाए। यह भी देखने में आया है कि पुलिस अधिकारी के अच्छे संवाद से कई मामले शान्त हो जाते हैं व खराब संवाद से मामला तूल पकड़ लेता है। अच्छे संवादकर्ता के कुछ गुणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है जिनकी जानकारी कानून-व्यवस्था में नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी को होना आवश्यक है:-

1. अपने उद्देश्य को जानना कि क्यों संवाद करना चाहते हैं।
2. उन लोगों को जानना जिनसे संवाद करना है कि वह क्या जानना चाहते हैं।
3. यह योजना बनाना कि क्या कहना है व कैसे कहना है।
4. इस बात की जानकारी करना कि लोगों पर संवाद का क्या प्रभाव हुआ।
5. यह समझना कि वास्तव में क्या कहा जाना है।
6. संदेश पर लोगों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना।
7. संदेश के लिए सही शब्दों व शारीरिक हाव भाव का चयन करना जिससे लोग यह समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है।
8. अपने संदेश को देने के लिए सबसे उत्तम माध्यम को चुनना होगा।
9. प्रकरण की विषय वस्तु की संवेदनशीलता व भावनात्मक पहलू को भी समझना होगा।
10. संदेश प्राप्त करने वालों की पसंद को भी समझना होगा।
11. समय के प्रतिबन्ध का ध्यान रखना।
12. सवाल पूछने व उत्तर देने की आवश्यकता को समझना।

पुलिस विभाग में सफलता प्राप्त करने के तीन बिन्दु

किसी पुलिस अधिकारी को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के व्यक्तिगत योग्यताओं से परिपूर्ण होना आवश्यक है जिससे वह सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से बच सके। किसी भी अधिकारी की सफलता में 10/90 का नियम लागू होता है अर्थात् किसी अधिकारी की विभिन्न योग्यताएं व ज्ञान 10 प्रतिशत व उसके व्यवहार का दृष्टिकोण 90 प्रतिशत योगदान देता है। इन बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:–

क) विशेष योग्यताएं (Skills) – किसी पुलिस अधिकारी में निम्नलिखित विशेष योग्यताएं उसको व्यावहारिक स्थितियों में उसके ज्ञान का प्रयोग करने व समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है।

1. किसी कार्य को करने की योग्यता होना।
2. अपनी योग्यता का प्रयोग करके व यह जानना कि अपने कार्य को कैसे पूर्ण किया जाए व समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए।
3. प्रबुद्ध व्यावहारिक होना व उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग करने में रुचि लेना।
4. विशेष योग्यता के द्वारा क्या किया जा सकता है।
   - i) लक्ष्य का निर्धारण
   - ii) समय प्रबन्धन
   - iii) निर्णय लेने में तर्क को आधार बनाना
   - iv) संवाद करना
   - v) अन्य लोगों के साथ सम्बन्ध बनाना।

ख) दृष्टिकोण (Attitude) – किसी पुलिस अधिकारी का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण भी उसकी सफलता का एक भाग होता है। उसका व्यवहार प्रदर्शन योग्य हो। अपने कार्य को मानकों व सकारात्मकता के साथ करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता हो। उसके प्रति उत्तर सीखने योग्य हो। इसके लिए पुलिस अधिकारी में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है:–

1. आत्म अभिप्रेरणा
2. आत्म विश्वास
3. नैतिकता
4. ईमानदारी से कार्य करने की भावना
5. आशावादी
6. उत्साह
7. सहयोगी
8. दृढ़ प्रतिज्ञा

ग) ज्ञान (Knowledge) – किसी भी अधिकारी का ज्ञान उसके समस्त पाठ्यक्रम का केन्द्र बिन्दु होता है। ज्ञान किसी व्यक्ति की सफलता का आधारशिला होता है। ज्ञान में आधारभूत बातें, सिद्धांत, सूचनाएं, तथ्य, अंक, विवरण व सीखने को सम्मिलित किया जा सकता है। ज्ञान होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं–

1. प्राप्त सूचनाओं को समझने की शक्ति।
2. सूचनाओं को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकालना।

3. यह जानना कि सूचना केवल विचारों पर आधारित है या वास्तविक है।

पुलिस में टीम वर्क व उसके लाभ

टीम का अर्थ क्या है- टीम में कई व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। इस बात को टीम के शब्दों से निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:-

T - **Work together** (एक साथ काम करना)

E - **Every one** (सभी के द्वारा)

A - **Achieves** (प्राप्त करना)

M - **More** (अधिक)

टीम की विशेषताएं

1. टीम कई व्यक्तियों का एक समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में कई योग्यताएं होती हैं और यह सभी सदस्य किसी समान दृष्टिकोण से कार्य करते हैं।
2. टीम के सभी सदस्य एक उच्च कोटि के विश्वास, उत्तरदायित्व व स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।
3. सदस्य अपने आत्म प्रबन्धन में अधिकार व उत्तरदायित्व के साथ अपना योगदान करते हैं।
4. टीम के द्वारा व्यक्तिगत सदस्य से अधिक कार्य किया जाता है।
5. टीम वर्क एक ईंधन है जो सामान्य व्यक्तियों को असाधारण परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है।
6. टीम के सदस्य अपनी शक्ति को पहचान कर एक दूसरे की सहायता करते हैं।
7. टीम एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करती है जो टीम के सदस्यों को अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य करने की अनुमति देता है।

टीम वर्क के लाभ-

किसी व्यक्ति द्वारा अकेले काम करने के बजाए मिलकर काम करने के परिणाम अच्छे होते हैं। टीम वर्क के कुछ लाभ निम्न प्रकार के हो सकते हैं:-

1. किसी व्यक्ति का योग्य व सामर्थ्यवान होना अच्छी बात है परन्तु दूसरे लोगों की सामर्थ्य का प्रयोग करके टीम में कार्य करना और अधिक महत्वपूर्ण है।
2. यदि टीम के साथ कार्य न करके व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता है तो यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में अच्छा कार्य करने में सफल हो जाए परन्तु वह किसी अन्य परिस्थिति में असफल हो सकता है।
3. टीम वर्क में सभी सदस्यों की शक्ति का प्रयोग करके स्थिति की परवाह किए बिना अच्छा कार्य किया जा सकता है। अत: पुलिस अधिकारियों को अकेले काम करने के बजाए टीम बना कर कार्य करना चाहिए।

❑

फांसी की सजा पर दाखिल दया याचिकाः एक मानवीय पहलू

ललितेश्वर नाथ तिवारी
विशाल गंगा अपार्टमेंट, आनंदपुरी, पटना (बिहार)

भारतीय कानून के तहत जघन्य अपराध करनेवाले अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती है। भारत में हर फांसी की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) द्वारा किया जाना जरूरी है। यदि मामला उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में दायर किया जाता है और वहां भी फांसी की सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट में ही एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। अगर इसमें भी फांसी की सजा बहाल रहती है तो पुनः सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाला जा सकता है। जब यहां भी फांसी की सजा बहाल रहे, तब दोषी के पास राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का अंतिम विकल्प होता है।

किसी भी मुकदमे में लगने वाला लंबा समय हमारी न्याय व्यवस्था में एक सबसे बड़ी कमी है। उस पर भी मृत्यु दंड के मामले में अक्सर कोर्ट द्वारा सजगता के कारण, कभी राजनीतिक असर के चलते भी विलंब होता है। त्वरित न्याय पाने में अनेक रुकावटें हैं। इसमें प्रमुख रूप से मुकदमों की संख्या के अनुरूप न्यायालयों की कम संख्या, मूल संसाधनों की कमी या अभाव, दक्ष न्यायकर्मियों की नियुक्ति में होने वाला विलंब प्रमुख है। इसी न्याय तंत्र में पुलिस, वकील आदि भी सम्मिलित हैं। अन्य कारणों में गवाहों का समय पर उपस्थिति नहीं होना, अभियोजन पक्ष की कमी भी विलंब का एक बहुत बड़ा कारण है। अतः निचली अदालत से उच्च या सर्वोच्च न्यायालय तक मामले आने में कई दशक व्यतीत हो जाते हैं।

किसी भी समाज या देश में मृत्युदंड की सजा हमेशा से विवादास्पद रही है। वैसे समाज सुधारक भी जो जघन्य अपराधों में समाज के बचाव के लिए इस सजा को जरूरी मानते हैं, वे भी कभी न कभी इस मृत्युदंड का विरोध भी करते रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अपने मृत्यु दंड शोध प्रोजेक्ट पर इसके कानूनी पहलुओं को समझने का एक प्रयास किया था। उन्होंने जुलाई 2013 से जनवरी 2015 तक मृत्यु दंड के 385 अपराध में से 373 केसों की पृष्ठभूमि, उनमें अपनाये गए कानूनी प्रक्रिया का यथार्थ और मृत्यु के साये में दोषियों के जेल जीवन की अनुभूतियों का अध्ययन किया था।

उनके अनुसार भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों की 59 विभिन्न धाराओं के तहत मृत्यु दंड दिया जाता है। इसमें वैसे अपराध भी जो जघन्य हत्या की श्रेणी में नहीं आते, परन्तु क्रूरतम अपराध की श्रेणी में होने के कारण इनमें भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। जैसे - भारतीय दंड संहिता में इन अपराधों में भी - फिरौती के लिए अपहरण के दौरान अपहर्ता द्वारा अनजाने में अपहृत की मौत, प्रिवेंशन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफ्फेंस यानि (संक्षिप्त में पोक्सो) में नाबालिग लड़की का बलात्कार करना, जानबूझ कर किसी भी महिला का जानलेवा बलात्कार, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाना, ड्रग या मादक दवाओं की तस्करी जिसमें बड़े पैमाने पर सामूहिक मौत

होने का भय या मौत हो, आतंकवादी गतिविधियों, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, अपने देश के संविधान के विरुद्ध बगावत, उम्र कैदी द्वारा किसी की हत्या आदि में भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। 1980 में बचन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सामान्यत: मृत्यु दंड समाज में दुर्लभों में दुर्लभ (रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर) मामलों में जहां सुधार की गुंजाइश समाप्त हो जाए वहां देने का प्रावधान है। सजा देने में न्यायकर्ता का अपना विवेक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी न्याय प्रभावित होता है।

इस प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार फांसी की सजा पाए 385 अभियुक्तों में 241 को प्रथम बार के अपराध में ही उस अपराध को जघन्य मान फांसी की सजा मिली थी। फांसी सजा पाए अपराधियों में 60% दोषियों का शैक्षणिक स्तर सेकेंडरी शिक्षा से भी कम था और इसमें 75% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा (जनरल असेंबली) में वर्ष 2007 में मृत्यु दंड सजा समाप्त करने के अंगीकृत संकल्प का विरोध करने वाले देशों में भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख थे। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 98 देशों में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है और 160 देशों में मृत्यु दंड प्रचलन में लगभग समाप्त है। भारत, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान में अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान है। भारत में 6 वर्ष तक फांसी मुक्त सजा अवधि के बाद 2014 में 176 लोगों को फांसी की सजा मिली। पाकिस्तान में तो पवित्र रमजान के महीने में भी दो लोगों को फांसी दी गयी। विश्व के सभी देशों में सम्मिलित रूप से वर्ष 2013 में 778 लोगों को फांसी की सजा दी गयी जो वर्ष 2012 में 682 लोगों की फांसी की सजा के मुकाबले 14% अधिक है।

(वेब – ,)

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में विभिन्न देशों में मृत्यु दंड देने की संख्या निम्न थी–

क्रमांक	देश	मृत्यु दंड निर्णय की संख्या
1.	नाइजीरिया	659
2.	पाकिस्तान	231
3.	बांग्लादेश	142 +
4.	भारत	64 +
5.	श्रीलंका	61 +
6.	अफगानिस्तान	12 +

2014 में विश्व के विभिन्न देशों में 607 लोगों को फांसी दी गयी, इसमें 72% लोग ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि देशों के थे। चीन, बेलारूस, वियतनाम देशों की सरकारों द्वारा फांसी की सजा के आंकड़ों की सूचनाओं को गोपनीय रखने के कारण इनकी संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। सीरिया एवं नार्थ कोरिया से भी इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। (वेब – ..)

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की मृत्यु दंड शोध प्रोजेक्ट के अनुसार सबसे दुखद स्थिति है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक किसी भी मंत्रालय या संस्था द्वारा मृत्यु दंड के अधिकृत

आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस शोध के अनुसार दोषियों की मानसिक स्थिति निम्न थी–

1. भय, अपने जीवन के प्रति अनिश्चितता – निचली अदालतों में मृत्यु दंड सुनाये जाने से लेकर दया याचिका की स्वीकृति/अस्वीकृति तक।

2. पारिवारिक असमंजस्यता – क्या करें न करें, परिवार तथा उनके मित्रों, रिश्तेदारों के बीच आपसी संबंध में।

3. कानून के प्रति अहसजता – कानूनी प्रक्रिया की नासमझी के चलते सही सलाह नहीं मिल पाने के कारण उदिग्नता, बेचैनी।

4. जीवन में आनंद और उमंग का अभाव – जीवन नीरस लगना, भूख की कमी, अवसाद, पर्व–त्यौहार, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में अरुचि, निष्क्रियता आदि।

5. जेल कर्मियों का अमानवीय व्यवहार – दोषियों को समय पर भोजन नहीं देना, रोगी होने पर चिकित्सक को नहीं दिखलाना, दवा उपलब्ध नहीं कराना, एकांतवास में रखना, सेल में रातभर बत्ती जलने देना, दोषी से मारपीट, दुर्व्यवहार, काम करने का भत्ता नहीं देना, लम्बे समय तक नग्न रखना, जीवनोपयोगी वस्तुएं नहीं प्रदान करना आदि।

परन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फांसी की सजा के निष्पादन में अनुचित, अत्यधिक, अकारण विलंब बेहद यातनादायी होता है। यह संविधान के मूल अधिकारों की धारा 21 का उल्लंघन है और इस आधार पर मृत्यु दंड का फैसला बदला जा सकता है। फांसी की सजा पाए दोषी को भी अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपना मौलिक अधिकार पाने का हक है। न्यायालय के अनुसार सजा विधि सम्मत रूप से दी जानी चाहिए, इसका निष्पादन संवैधानिक आदेश के अनुरूप होना चाहिए, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करके नहीं।

मृत्यु दंड प्राप्त अपराधियों के विषय में सुप्रीम कोर्ट के खास दिशा निर्देश–

1. मृत्यु दंड के दोषी को एकांतवास में नहीं रखा जाए।
2. आखिरी चरण तक कानूनी सहायता दी जाए।
3. राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा याचिका अस्वीकृत/स्वीकृत कर देने पर इसकी जानकारी लिखित रूप से दोषी और परिवार को दी जाए।
4. दया याचिका की अस्वीकृति और मृत्यु दंड निष्पादन के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर हो।
5. यदि कैदी मानसिक रूप से बीमार है तो उस समय उसकी फांसी नहीं हो सकती।

अपने देश में फांसी की सजा का निष्पादन दो तरीके से होता है। पहली प्रथा में आपराधिक दंड प्रक्रिया के तहत फांसी के सजायाफ्ता को गर्दन में फंदा डालकर उसके मौत होने तक सजा दी जाती है। दूसरी स्थिति में 1950 की आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी को गोली मारकर मौत देने की सजा सुनाई जा सकती है। पर शायद अभी तक ऐसा सुनने या देखने में नहीं आया है।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से लगातार आने वाले फैसलों से लगता है कि फांसी की सजा व्यावहारिक आधार पर समाप्त हो गई है। पिछले दिनों राजीव गांधी के हत्यारों पर आये फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा का विरोध किया है। इस फैसले के अनुसार सजायाफ्ता को इस बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है कि काल कोठरी में वह मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित है। फैसले के अनुसार सरकारी दलील नामंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि माफी याचिका में विलंब के कारण दोषी को अपनी मानसिक प्रताड़ना का सुबूत देने की कानूनी बाध्यता नहीं है और इस बाध्यता को समाप्त कर दिया तथा याचिका निपटारे में विलंब के आधार पर 15 लोगों को फांसी की सजा को माफ कर दिया था और उसे उम्र कैद में बदल दिया था। न्यायालय के अनुसार दया याचिकाओं के निपटारे में देरी से मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने का आधार हो सकता है। यदि कैदी मानसिक रूप से बीमार है तो उसे या गर्भवती महिला को फांसी नहीं हो सकती। 13 दिसंबर 2012 तक विभिन्न जेलों में फांसी की सजा पाए कैदियों की संख्या 477 थी। 14 अगस्त 2004 में पश्चिम बंगाल के धनञ्जय चटर्जी को एक 14 वर्षीय बालिका के जघन्य बलात्कार केस में अलीपुर जेल में फांसी हुई थी। उसके बाद 21 नवंबर 2012 को महाराष्ट्र के यरवदा जेल पुणे में पाकिस्तानी मोहम्मद अजमल अमीर कसाब को 2008 में हुए मुंबई पर आतंकवादी हमले के लिए और 9 फरवरी 2013 में मोहम्मद अफजल गुरू को 2001 में संसद पर हुए हमले के दोषी के रूप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में तथा 30 जुलाई 2015 को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट (विस्फोट) कांड में याकूब मेनन को फांसी दी गयी थी। इस दशक में अब तक 17 व्यक्तियों को फांसी दी जा चुकी है। वर्ष 2016 से अभी तक में किसी को भी फांसी नहीं दी गयी है।

एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राईट के अनुसार 1999 से 2011 के दौरान राष्ट्रपति के पास विचार के लिए 18 दया याचिकाएं पहुंची थी। जो एक से लेकर तेरह सालों तक लंबित रहीं। 1950 से 2009 के दौरान राष्ट्रपति के पास 300 से अधिक याचिकाएं आई थीं। इनमें 214 मंजूर हुईं और इनमें मृत्यु दंड के फैसले बदल दिए गए थे। 2012 जुलाई में कार्य भार संभालने के बाद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 19 में से 13 याचिकाएं खारिज की थीं। (तालिका 1 में विस्तार से दर्शाया गया है)।

संविधान के तहत राष्ट्रपति के लिए दया याचिका पर विचार करने की समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है, मगर संबंधित मंत्रालय नियमों का समयबद्धता से पालन कर शीघ्र निपटारे में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। राज्य सरकारों को राज्यपाल के पास दया याचिका भेजते समय सभी जरूरी कागजातों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार वर्षों तक दया याचिका को लंबित नहीं रख सकती। न्यायालय ने अपने फैसले में 5 से 12 साल से भी अधिक समय तक लंबित याचिकाओं को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।

35वें लॉ कमीशन रिपोर्ट 1967 के अनुसार 1953 से 1963 तक 1400 फांसी सजायाफ्ता को फांसी दी जा चुकी थी। वहीं एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार 1947 के बाद 170 लोगों को फांसी दी गयी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के मृत्यु दंड शोध प्रोजेक्ट के अनुसार 2007 में सबसे अधिक

तालिका 1

क्रमांक	राज्य का नाम	फांसी के लंबित मामले	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार (1998 से 2013)
1.	उत्तर प्रदेश	106	506
2.	कर्नाटक	63	107
3.	महाराष्ट्र	51	160
4.	बिहार	42	178
5.	दिल्ली	27	116
6.	गुजरात	19	62
7.	पंजाब	16	–
8.	केरल	14	–
9.	तमिलनाडु	12	147
10.	असम	10	–
11.	मध्य प्रदेश	10	162
12.	जम्मू कश्मीर	10	–

(स्रोत: एमनेस्टी इंटरनेशनल एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राईट)

166 लोगों को देश के विभिन्न न्यायालयों में फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं 2005 में 164 लोगों को फांसी की सजा मिली थी। 2004 से 2013 तक दिल्ली में 2465, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड सम्मिलित में 303, बिहार में 157, पश्चिम बंगाल में 104, महाराष्ट्र में 108, कर्नाटक में 107 और मध्य प्रदेश में 104 फांसी की सजाएं आजीवन कारावास में बदल दी गयीं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2004 से 2013 तक 1303 को मृत्यु दंड और 3751 मृत्यु दंड सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

अत: निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फांसी सजायाफ्ता कैदी आज भी मानवीय संवेदनाओं से अपरिपूर्ण हैं। इस तरफ अभी भी इस देश की सरकार, न्याय व्यवस्था और समाज की ओर से उनके लिए सम्मिलित रूप से जागरूकता और प्रयास की आवश्यकता है ताकि फांसी सजा भोगी के बाकी बचे जीवन में इन्हें आवश्यक मूलभूत सुविधाऐं मुहैया कराई जा सके।

❑

स्मार्ट पुलिसिंग

प्रो. अदिति मिश्र
गांधी नगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

राज्य की स्थापना का सबसे पुराना एवं सर्वमान्य आधार नागरिकों के लिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना रहा है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन हेतु पुलिस एवं न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ एवं प्रभावी होना आवश्यक है। आज के समय में यह देखा जा रहा है कि अपराध बढ़ने के साथ ही उनका स्वरूप भी पेचीदा तथा दुरूह होता जा रहा है।

वास्तव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था में अपराध को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध समाज में कई प्रकार की विकृतियों के परिणामस्वरूप उपजते एवं पनपते हैं। अपराध व्यक्ति विशेष की मानसिक विकृति के परिणाम हो सकते हैं, समाज की कुरीतियों, असमानताओं या अभावों से उपज सकते हैं या तात्कालिक भावावेश के कारण घटित हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए अपराध की पड़ताल में त्वरित गति से अपराधी को पकड़ना एवं दण्ड व्यवस्था में प्रभावपूर्ण पैरवी हेतु साक्ष्य जुटाना अपराध रोकने एवं कम करने की दिशा में निवारक सिद्ध हो सकता है।

पुलिस व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा पर भी लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। सामान्यतया स्मार्ट पुलिसिंग का अर्थ यही लगाया जाता है कि संचार की नई तकनीक अपनाई जाए, कम्प्यूटर जैसे साधनों में अभिलेख दर्ज हो और एक क्लिक के माध्यम से अपराधों एवं अपराधियों की सूचना उपलब्ध हो सके। यह अवधारणा पूरी तरह स्मार्ट को नहीं समझाती, फिर भी इससे समझा जा सकता है कि पुलिस की प्रणाली को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना, पारदर्शिता एवं तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इन विशेषताओं को आवश्यक माना जाता है।

स्मार्ट पुलिस की आवश्यकता लगातार बढ़ने के पीछे कई कारण है। आधुनिक युग में अपराध करने की तकनीकें परिष्कृत हो रही हैं। सफेद कालर अपराध इतने फैल चुके हैं कि प्रत्येक साधारण जन भी ठगी, धोखाधड़ी जालसाजी का शिकार बन जाता है। संचार के साधन बढ़ने से गांवों, कस्बों तक नौजवानों में यौन अपराध तथा उनके अश्लील वीडियो से प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं यही नहीं आधुनिक संचार साधनों से नई तकनीकों से, अपराध करना, सीखना भी सरल है। प्रचार माध्यम सिनेमा, दूरदर्शन से भी लोग अपराध करना सीख रहे हैं। नई चीजों की चाहत में सरल मार्ग अपनाना बढ़ रहा है, और इसके ऊपर यह भावना भी कि पुलिस अभी पुराने तरीकों से अपराध सुलझाने के कारण गुमराह की जा सकती है।

पुलिस के समक्ष वास्तव में यह एक समस्या है क्योंकि पुलिस की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बेहद कम है और उससे लिये जाने वाले कार्यों की संख्या बेहद ज्यादा है। वी.आई.पी. सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात संचालन जैसे कार्य सामान्यतया पुलिस के हैं साथ ही विशेष दायित्व भी। उसके पास अभी भी पुराने हथियार हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, कम्प्यूटर प्रशिक्षण अत्यंत सीमित है।

आधुनिक जांच प्रयोगशालाएं केवल बड़े शहरों में ही हैं और कम कर्मचारियों के कारण रिपोर्ट आने में भी देरी देखी जाती है, ऐसे में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा अत्यधिक प्रासंगिक हो गई है।

स्मार्ट पुलिस की अवधारणा पश्चिम के देशों से प्रारम्भ हुई अमेरिका में न्याय सहायता ब्यूरो ने पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन हेतु कई सुझाव दिये। अपराध नियंत्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसी तरह ब्रिटेन में भी तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा विकसित की गई। 1829 में रावर्ट पील ने लंदन में इन नई तकनीकों के विस्तार की कोशिश की इसमें गतिशीलता बढ़ाने के लिए पुलिस को आधुनिक वाहन प्रदान करना साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान का प्रयोग करना, कम्प्यूटर के ऐसे साफ्टवेयर विकसित करना कि विश्लेषण का संकलन सुगमता से उपलब्ध हो जैसे प्रयास किये गये। न्यायपालिका में साक्ष्यों को अकाट्य सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को व्यक्तियों की गवाही से अधिक विश्वसनीय बनाने पर बल दिया गया। इसी दिशा में प्रयास करते हुए अमरीकी पुलिस व्यवस्था में अपराध के कारणों का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि समाज में कुछ ऐसे समूह/क्षेत्र पाये जाते हैं जहां अपराध होने की या अपराधियों के पनपने की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध प्रतीत होती हैं। ऐसे में इन परिवेशों में पुलिस एक सजग प्रयास कर सकती है कि अपराध घटित होने के पहले ही उस पर रोक लगाई जा सके इसके लिए उन स्थानों पर सघन पुलिसिंग के अलावा समाज को अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में प्रयास किये जाने चाहिये, इसके लिए पुलिस को समुदाय में नागरिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास करने चाहिएं। वास्तव में स्मार्ट पुलिस को एक सामरिक प्रयास कहा जा सकता है जिसके द्वारा अपराध रोकने के लिए इसके सभी तत्वों को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है।

प्रत्येक समाज में विकास एवं सुचारू जीवन तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकारों का समुचित उपयोग कर सकें और निर्वाध रूप से जीवन–यापन करने की परिस्थितियां बनी रहें। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में नागरिकों के जीवन पर संकट गहराता जा रहा है। आतंकवाद, हिंसा और लोलुपता जन्य अपराध बढ़ रहे हैं। समाज में आर्थिक रूप से असमानता भी अपराध बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पुलिस एवं न्याय व्यवस्था के दायित्व भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए नई तकनीकों और संसाधनों का भी विकास आवश्यक है। इस दिशा में किये गये अनुसंधानों में देखा गया कि अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, पुलिस की गश्त बढ़ाकर नागरिकों को आश्वस्त किया जा सकता है, सुरक्षा का माहौल बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इसके ठोस प्रमाण नहीं पाये गये कि गश्त से अपराध करने में भय उत्पन्न होता है। अपने सूचनातंत्र, संचार, यातायात को सुधार कर पुलिस अपराध रोकने का प्रयास करती है। एक और तरीका यह है कि समाज में घटित अपराधों के अध्ययन से यह समझा जाए कि किन कारणों से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध के अनुकूल कौन से क्षेत्र हैं, इसके बाद उन चिन्हित स्थानों पर पुलिस की गतिविधियां केन्द्रित की जाएं। व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन,

अपराध के मूल कारण के समाधान का प्रयास जैसे प्रयोग बेहतर नागरिक बनाने के साथ-साथ अपराध रोकने के भी दीर्घकालीन रूप से कारगर रहते हैं।

परम्परागत पुलिसिंग की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साधन अपने मुखबिर तैयार करना रहा है जो अपराध के सुराग तक पुलिस की पहुंच को सरल करते हैं। कठिन लगने वाले अपराधों में भी कभी बेहद मामूली घटनाएं और कारण होते हैं जिन्हें सामान्यतया समझा नहीं जा सकता। घटनाओं के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों मीडिया में कयास के कारण भी उलझनें बढ़ जाती हैं। ऐसे में परम्परागत साधन के तौर पर प्रयुक्त मुखबिर ही पुलिस को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। घटना पर पाये गये फोरेन्सिक सबूत तभी कारगर हो सकते हैं जब अपराधियों का डाटा बैंक हो, स्पष्ट कारण अपराध सम्बन्ध हो, लेकिन सटीक सूचना से साक्ष्य के आधार पर अपराधी को पकड़ कर पुष्टि करना सरल होता है। अर्थात् अपराध क्यों हुआ, इसका मूल कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक होने के अलावा सामाजिक परिवेश का परिणाम हो तो पुलिस सतत सूचना के आधार पर अपराधियों/सम्भावित अपराधियों के क्षेत्र को पहचान सकती है। उसका अध्ययन कर विभिन्न स्तरों पर इसे नियंत्रित करने की पहल कर सकती है। स्मार्ट पुलिस ने इसी परम्परागत तरीके के वैज्ञानिक उपयोग के द्वारा हर शहर आबादी के उन इलाकों को पहचानने का प्रयास किया है जहां समस्याएं पनप सकती हैं।

विगत वर्षो में अनेक अपराधों के मीडिया में विस्तृत विश्लेषण से यह बात भी सामान्य चर्चा में आयी कि जघन्य अपराध करने वाले अपराधी स्वयं ही एक विकृत परिवेश के शिकार थे। उदाहरण के लिए किशोर अपराध के अधिकांश मामलों में समाज की पनपती गरीबी, शहरों में 'घेटों' का जीवन, अप्राकृतिक जीवन शैली जिम्मेदार पाये गये। ऐसे में सहानुभूति शिकार एवं अपराधी दोनों को मिलनी चाहिए। और उन्हें न्याय देने के लिए समाज को चौकस रहना चाहिए कि ऐसे अपराध को जन्म देने वाले परिवेश को समाप्त किया जाए, उपेक्षित वर्गो को सही दिशा, शिक्षा प्रशिक्षण एवं व्यवस्था में विश्वास दिलाया जाए। इस कार्य को स्मार्ट पुलिसिंग के द्वारा ही चिन्हित एवं क्रियान्वित किया जा सकता है।

विगत दिनों स्मार्ट पुलिसिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत के संदर्भ में इस प्रकार समझाया:-

SMART जहां S का अभिप्राय पुलिस का संवेदनशील होना (Sensitive)

M = आधुनिक एवं चपल होना (Modern & Mobile)

A = सजग एवं जवाब देह होना (Alert & Accountable)

R = विश्वसनीय एवं उत्तरदायी (Reliable & Responsive)

T = प्रशिक्षित एवं तकनीकी रूप से दक्ष हो (Trained & Technical)

ऐसे गुणों के विकास के लिए पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समाज के लिए इसे अपरिहार्य मानते हुए गृहमंत्री ने भी यह घोषणा की कि प्रत्येक राज्य में स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जाएं।

राज्यों में बनाये जाने वाले इन 'स्मार्ट' पुलिस स्टेशनों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाएंगी:-

1. यह पुलिस स्टेशन नागरिकों के लिए सुलभ हो तथा इनका परिवेश नागरिकों को आतंकित न करे। कर्मचारीगण विनम्र हो, सबके प्रति सहयोगात्मक रवैया रखें।

2. रिपोर्ट लिखाने, पड़ताल की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज हो, समय की देरी न हो और प्रगति भी दिखाई पड़ती रहे।

3. परिसर खुले स्वच्छ हों, महिलाओं एवं पुरुषों के अलग शौचालय हों।

4. आधुनिक तकनीकों से युक्त हों, कैमरे के द्वारा निगरानी की जा सके। प्रकाश की, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो।

ऐसे पुलिस स्टेशन के निर्माण में साथ ही पुलिस कर्मियों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। संवेदनशील एवं तकनीक से युक्त कर्मी समाज के सहयोग से अपराध के संभावित स्थानों की पड़ताल कर सकते हैं। पुलिस के कर्मियों द्वारा अनेक ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां समाज में सुधार के कार्यक्रम की उनकी पहल अपराध रोकने के साथ पुलिस की मानवीय छवि उभारने में सफल रही है चाहे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने हो, कौशल विकास करना हो या स्वच्छता अभियान से समाज को जोड़ना हो स्मार्ट पुलिस की संवेदना, तकनीक और सजगता से परम्परागत पुलिस के गुणों को संबर्द्धित किया जा सकता है।

❑

किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका

एम.पी. भारद्वाज
संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत)
सैक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली

किशोर मानव समाज का अति संवेदनशील तथा प्रभावप्रवण अंग है। इस वर्ग की तुलना चिकनी मिट्टी से बनी बार से की जा सकती है जिसे किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यदि हम अपने देश के किशोर वर्ग को भविष्य में स्वस्थ, सुखी तथा देश के उपयोगी नागरिकों के रूप में देखना चाहते हैं तो उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार, अनुशासन, उचित शिक्षा व प्रशिक्षण तथा सर्वोपरि प्यार से निर्मित सांचे में ढाले जाने की आवश्यकता है अन्यथा यह कच्ची गार कोई भी अवांछित आकृति ग्रहण कर सकती है, जो न केवल उनमें उपजे जीवन के लिए बल्कि देश व सम्पूर्ण मानव समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में बड़ी संख्या में बालक तथा किशोर निराश्रयता, उपेक्षा, आवारागर्दी लम्पटता, अपराध, शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक उत्पीड़न एवं शोषण, दुर्व्यसन एवं दुर्व्यवहार की हानिकारक परिस्थितियों के शिकार हैं। समाज का यह अल्प विकसित, संवेदनशील और असुरक्षित किन्तु महत्वपूर्ण अंग सुस्थापित मानव समाज की सहानुभूति एवं सहायता का उचित हकदार है। इस वर्ग का समाज के स्वस्थ तथा मजबूत घटक के रूप में पुनर्वास तथा इसे समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाना अति आवश्यक है, ताकि वह भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन को सुखी बना सके। प्रत्येक देश इस दिशा में जागरूक है तथा उपयुक्त वैधानिक, न्यायिक, परिपालक तथा पुनर्वासीय व्यवस्थाओं के माध्यम से इस गुरू-गम्भीर समस्या के समाधान में जुटा है।

बालक या किशोर चाहे वे किसी देश, धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय, वर्ग, भाषा या लिंग से सम्बद्ध हों, चाहे वे वैवाहिक सम्बन्धों से जन्मे हों या अन्यथा मानव समाज और विश्व की 'सर्वश्रेष्ठ आस्ति' हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय की अतीव गंभीरता का संज्ञान लेते हुए उन्हें उनकी वर्तमान असुरक्षित अवस्था से बाहर निकालने तथा उनके लालन-पालन, विकास, संरक्षण, पुनर्वास तथा कल्याण की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाएं तथा पहल की जा चुकी हैं जो आज महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज बन चुकी हैं। विश्व के बहुसंख्यक राष्ट्रों ने इन घोषणाओं को स्वीकार करते हुए उनके समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं और उनके आलोक में अपने यहां नए वैधानिक उपबन्ध तथा संशोधन किए हैं।

कानून का निर्माण एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है। किसी सामाजिक समस्या के लिए केवल कानून का बनाया जाना ही पर्याप्त नहीं होता। उसकी सफलता की कसौटी उसका सही क्रियान्वयन होता है। किसी कानून को लागू करते समय पेश आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से उस कानून की खामियों और कमियों का पता चलता है। तत्पश्चात् उन खामियों तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए कानून में संशोधन किए जाते हैं। किशोर न्याय कानून भी इस प्रक्रिया का अपवाद नहीं है।

स्वतंत्र भारत में किशोर कानूनों की यात्रा बाल अधिनियम 1960 से आरम्भ होकर, किशोर अधिनियम 1986, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 से होती हुई किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तक आ पहुंची है। इस कानून को पूर्व अनुभवों के आधार पर कठिनाइयों तथा खामियों से मुक्त करके और संयुक्त राष्ट्र मानकों तथा अन्य प्रगतिशील विचारों को समाहित करते हुए यथाशक्य अद्यतन तथा सुप्रवाही बनाने का प्रयास किया गया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर, बालकों से संबंधित विवादों का बाल मित्र दृष्टिकोण अपनाते हुए न्याय निर्णयन करना है। इसमें बालकों की उचित देखभाल संरक्षण, विकास, उपचार, तथा सामाजिक पुन: समेकन के द्वारा उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस अधिनियम को उसकी सही भावना तथा मंशा के साथ लागू करने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2016 बनाई गई है। यह कानून तथा यह नियमावली अब जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो चुकी है।

वर्तमान किशोर अधिनियम के तहत किशोरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में 'कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों' को तथा दूसरी श्रेणी में 'देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले किशोरों' को रखा गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से निपटने के लिए 'किशोर न्याय बोर्ड' तथा देखरेख व संरक्षण की जरूरत वाले बालकों के लिए 'बाल कल्याण समिति' की स्थापना की गई है।

इन दोनों संस्थाओं की स्थापना के पश्चात् कानून को लागू करने वाले प्राथमिक प्राधिकरण के रूप में पुलिस को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये जिम्मेदारियां किसी किशोर या बालक को

(i) गिरफ्तार करने या प्राप्त करने,

(ii) उसे निरुद्ध करने, तथा

(iii) उसे किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष पेश करने से संबंधित है।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

किशोर न्याय नियमावली 2016 के अध्याय 3 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया विस्तार से बताया गया है:-

"8. पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई - (1) जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात् प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और, जहां कहीं लागू हो, बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगा:

परंतु पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, जब तक यह बालक के सर्वोत्तम हित में न हो। छोटे-मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों में, जहां बालक के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई का या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा तथा उस बालक के माता-पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है।

(2) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल इन सबको सूचित करेगा:

(i) बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है और साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता-पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है;

(ii) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो; और

(iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी:

(I) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा

13 की उप-धारा (2) के अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात् उसको गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों के भीतर, समुचित नियमों के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकता है;

(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अन्यथा बेड़ी नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा;

(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता-पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता-पिता या संरक्षक को दी जाएगी;

(iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सकीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो;

(v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता-पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं;

(vi) बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा; और

(viii) बालक को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(4) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा।

(5) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी प्ररूप 1 में अभिलिखित करेगा, जिसे तुरंत बोर्ड को भेजा जाएगा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के प्रयोजनार्थ, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए बालक के माता-पिता या संरक्षण से संपर्क करना आवश्यक होगा।

(6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण

अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयंसेवियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और चाइल्डलाइन सेवाओं की सूची और उनसे संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाए जाएंगे।

(7) जब ऐसे किसी मामले में बालक को छोड़ा जाता है, जिसमें बालक को पकड़ने की आवश्यकता न हो, तब माता-पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर-न्यायिक कागज पर प्ररूप 2 में एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

(8) राज्य सरकार उन स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों का पैनल रखेगी, जो परिवीक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयुक्त होने की स्थिति में हों और जिन्हें बालक को चौबीस घंटे और कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के पैनल की जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी।

(9) राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़े गए या उनकी देखरेख में रखे गए बालक/बालकों के उनके साथ रहने की अवधि में लिए उन बालकों के लिए भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सकीय देखरेख सहित आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी।

विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

''9.(1) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटों के भीतर पुलिस द्वारा उस बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, बोर्ड आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत बालक को संप्रेक्षण गृह में या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजना भी है।

(3) जहां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बाल अधिनियम की धारा 83 के अधीन आता हो, जिसके अंतर्गत वह बालक भी

है जिसको अभ्यर्पित किया गया शामिल है, वहां बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद उस बालक को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में आवश्यक कार्रवाई अथवा पुनर्वास के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए समिति को भेज सकता है जिसके अंतर्गत इस कार्रवाई अथवा निर्देश में बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ मान्यता-प्राप्त उपयुक्त सुविधा को अंतरित करने के आदेश जो उपयुक्त संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होगी, तथा बालक के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में विचार करना भी है।

(4) जहां विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक पकड़ा न गया हो और इस विषय में जानकारी पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बोर्ड को भेजी हो, वहां बोर्ड, बालक से यथाशीघ्र अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा करेगा, ताकि, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां पुनर्वास के उपाय शुरू किए जा सकें, हालांकि अंतिम रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जा सकती है।

(5) यदि बोर्ड बैठक में न हो तो विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमों के नियम 69घ के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद चौबीस घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी।

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालक के संबध में प्रक्रिया

किशोर अधिनियम 2016 के अध्याय 6 में धारा 31 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

समिति के समक्ष पेश किया जाना

''31. देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसी के द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है:-

(i) किसी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई, पदाभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई के किसी अधिकारी या तत्समय लागू किसी श्रम कानून के अधीन नियुक्त निरीक्षक के द्वारा;

(ii) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा;

(iii) चाइल्ड लाइन सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या एजेन्सी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(iv) बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v) किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना युक्त नागरिक द्वारा;

(vi) बालक द्वारा स्वयं; या

(vii) किसी नर्स, डाक्टर या नर्सिंग होम, अस्पताल या मैटरनिटी होम के प्रबन्धन कर्मचारी द्वारा।

परन्तु यह कि बालक को बिना समय की क्षति किए किन्तु यात्रा के समय को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

संरक्षक से बिछड़े बालक के संबध में सूचना देना अनिवार्य होगा

"32.(1) कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या नर्सिंग होम या अस्पताल या मैटरनिटी होम का कर्मचारी जो किसी ऐसे बालक को पाता है या दायित्व ग्रहण करता है या जिसे ऐसे बालक को सौंपा जाता है जो ऐसा दावा करता है कि वह परित्यक्त, अनाथ और पारिवारिक सहायता से विहित है, चौबीस घंटे के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उसकी सूचना चाइल्ड लाईन सेवाओं या निकटतम पुलिस थाने या बाल कल्याण समिति या बाल संरक्षण इकाई को देगा या बालक को किसी ऐसी बालक देखरेख संस्था को सौंपेगा जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित बालक के संबंध में सूचना को अनिवार्य रूप से ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल देखरेख संस्था, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

33. सूचना न दिया जाना एक अपराध

यदि किसी बालक के बारे में धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो उसे एक अपराध माना जाएगा।

34. सूचना न देने के लिए दण्ड

कोई व्यक्ति जिसने धारा 32 के अधीन अपराध किया है, 6 मास के कारावास दण्ड

या दस हजार रूपये के जुर्माने या दोनों का भागी होगा।

विशेष किशोर पुलिस इकाई

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) नियमावली, 2016 के नियम 86 में विशेष किशोर पुलिस इकाई का उपबन्ध किया गया है।

86\. विशेष किशोर पुलिस इकाई (1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी।

(2) **रेलवे स्टेशनों पर विशेष किशोर पुलिस इकाई**

केन्द्रीय सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी और जहां कहीं विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहां पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) **प्रशिक्षण और अभिविन्यास**

बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाएगा।

(4) **स्थानान्तरण और तैनाती**

नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानान्तरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाईयों या जिला इकाई में की जा सकेगी।

(5) **पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होना**

बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो, सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।

(6) **विनम्रता एवं सौम्यता**

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा तथा उसका आत्मसम्मान बनाए रखेगा।

(7) **असहज प्रश्नों को पूछने का विनम्र तरीका**

जहां कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जो बालकों को असहज बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।

(8) **प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सौंपना**

जब किसी बालक के विरुद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालक को सौंपी जाएगी और अन्वेक्षण पूरा होने के बाद अन्वेक्षण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।

(9) **कुसम्पर्क से बचाना**

किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं लाया जाएगा।

(10) **महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त होना**

विशेष किशोर पुलिस के पास निम्नलिखित की सूची होगी:-

(I) इसके विधिवत् क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और सम्पर्क ब्यूरो, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और सम्पर्क ब्यौरा और बोर्ड तथा समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(ii) इसके विधिवत् क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के ब्यौरे।

(11) **महत्वपूर्ण नामों तथा सम्पर्क ब्यौरा का प्रदर्शित किया जाना**

विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और सम्पर्क ब्यौरे पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डों तथा बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(12) **समन्वयकारी भूमिका**

विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।

(13) **बालकों को कानूनी सहायता दिलाने के लिए समन्वय**

विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।

उपसंहार

किशोर न्याय प्रक्रिया में बालक सबसे पहले पुलिस के सम्पर्क में आता है। अतः बालक चाहे कानून का उल्लंघन करने वाला हो या देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला हो, पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारियों को किशोर की आयु, किए गए अपराध, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उसके

रहन–सहन की दशाओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। अतः उन्हें बाल मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार, व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा किशोरों को मानवीय अनुभूतियों के साथ संभालने की तकनीक का जानकार होना चाहिए। यह आरम्भिक स्टेज ही होती है जब कोई किशोर या तो बर्बाद हो सकता है और उसमें समाज विरोधी क्रियाकलाप के प्रति झुकाव उत्पन्न हो सकता है या समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक दिशा में बदल सकता है और वह कानून का पालन करने वाला सभ्य नागरिक बन सकता है। थोड़ी सी करूणा, समझदारी तथा बालमित्र दृष्टिकोण से किशोर के व्यक्तित्व को सद्दिशा दी जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस सेवाओं के सामान्य संगठन में किशोर न्याय प्रक्रिया के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐसे पुलिस अधिकारी होने चाहिए जिनमें विशेष योग्यता के साथ–साथ किशोर न्याय के प्रति प्रतिबद्धता भी हो।

❑

वी.आई.पी. सुरक्षा

(भयाशंका और आकलन तथा विश्लेषण)

एस.पी. सिंह
सहायक निदेशक (सेवानिवृत)
कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

पिछले लगभग तीन दशकों से उत्तरोत्तर बढ़ते आतंकवाद, नक्सलवाद एवं उन्नत विस्फोटकों के प्रयोग आदि के कारण विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा को विशेष खतरे उत्पन्न हो गये हैं। सीमा पर विभिन्न आतंकवादी एवं अतिवादी संगठनों को लगातार मिलने वाले प्रशिक्षण एवं उच्च कोटि की क्षमता के विस्फोटकों एवं शस्त्रों ने वीआईपी सुरक्षा के कार्य को और भी जटिल बना दिया है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में वीआईपी की हत्या के प्रयास/हत्याएं हम सबको सचेत करती है कि इनकी सुरक्षा के प्रति हम सब विशेष सतर्क रहें और इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वाहन में दक्षता प्राप्त करें।

भय की आशंका अथवा भयाशंका ही सुरक्षा की जननी है, यदि भय की आशंका न हो तो संरक्षा तंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भय की उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण देश, काल सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य तथा उसके पद से सम्बन्ध हो सकते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भयाशंका के स्तर में कमीपेशी हो सकती है। अत: यह अनिवार्य होगा कि भयाशंका का ऑकलन एवं विश्लेषण भी निरन्तर किया जाए ताकि उसके आधार पर संरक्षा तंत्र के संगठन स्वरूप साज सज्जा एवं कार्य कलाप का निर्धारण किया जा सके।

भयाशंका के आकलन एवं विश्लेषण का प्रथम सिद्धांत है आतंकवादी की तरह सोचना तथा विचार करना सीखो। यद्यपि पढ़ने एवं सुनने में यह एक सहज एवं सरल कार्य प्रतीत होता है किन्तु ऐसा है नहीं। इस कार्य को सफलता से करने के लिए आपको संबंध आतंकवादी संगठन के उदभव के कारण एवं परिस्थितियों, इसके स्वरूप, इसके नेताओं एवं सदस्यों का मानसिक स्वरूप, उसके प्रेरणास्रोत, जनसमर्थन की सीमा एवं जनाधार यदि है तो इसके कारण, राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता, पिछली उपलब्धियों एवं असफलताओं, कार्य प्रक्रियाएं यानि उसकी शक्ति एवं कार्यक्षमता से पूरी तरह वाकिफ होना पड़ेगा। तभी आप भयाशंका के समुचित विश्लेषण का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ संरक्षा संगठन एवं तंत्र की कमजोरियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

आकलन की प्रक्रिया - राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं के संरक्षा तंत्र में भयाशंका आकलन तथा विश्लेषण के लिए विशेष इकाईयां होती हैं। राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थाएं एवं पुलिस संगठन लगातार इस ओर सतर्क एवं सजग रहते हैं। लगभग हर देश की गुप्तचर संस्थानों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) की सुरक्षा के लिए अलग संगठन स्थापित किये गए हैं। जिनमें भयाशंका आकलन एवं विश्लेषण के लिए अलग प्रकोष्ठ या विभाग रखे गये हैं। इन प्रकोष्ठों का कार्य होता है। समय-समय पर भयाशंका का मूल्यांकन करना एवं इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा संस्थान को विभिन्न श्रोतों द्वारा भय का मूल्यांकन, उसके संगठन अथवा परिवार के प्रति भयाशंका का मूल्यांकन एवं भौगोलिक क्षेत्र (निवास

क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अथवा भ्रमण क्षेत्र) में संभावित भयाशंका का मूल्यांकन दिया रहता है। उदाहरणतः जब भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश में अथवा विदेश में यात्रा करने का कार्यक्रम बनाता है तो उसे अन्तिम रूप देने के पूर्व इस विशेष इकाई के अधिकारी उस क्षेत्र में क्या एवं किस प्रकार की आशंकाएं उपस्थित हो सकती हैं इसके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि इस भ्रमण का कार्यक्रम अपनाया जाए अथवा नहीं। सामान्य भयाशंका आकलन अथवा खबरों की आम खबरों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सूचनाएं खुले रूप में उपलब्ध रहती हैं। दैनिक समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं, विशेष रिपोर्ट्स, रेडियो एवं टेलीविजन से अधिकतर सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। आजकल इनवेस्टीगेटिव जर्नलिज्म पर बहुत जोर है। घटनाओं की विस्तृत छानबीन, संबंधित व्यक्तियों एवं उपकरणों के फोटो स्कैच तथा सूचनाएं इनकी रिपोर्टों में मिल सकती है। बस ध्यान में रखना है कि इनकी रिपोर्टों को अक्षरशः सत्य न मान लिया जाए।

आजकल व्यावसायिक संस्थाएं विशेषतः अमेरिका एवं यूरोप के विकसित देशों में इस प्रकार की सूचना इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने तथा मूल्यांकन करने का काम करती हैं यदि संरक्षा तंत्र के पास साधन है तो इन संस्थाओं एवं इनके रिसर्च स्कालरों का लाभ भी उठाया जा सकता है।

सरकारी गुप्तचर संस्थाएं भी समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। ये अन्य संबंध सरकारी सुरक्षा एवं संरक्षा तंत्र के कर्मियों को इसकी सुविधा हमारे देश में नहीं है।

इन सूचनाओं को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ करने से पहले हमें अपने कार्य क्षेत्र का परसीमन कर लेना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया सामान्तया निम्न प्रकार से कर सकते हैं:–

1. भौगोलिक क्षेत्र का परिसीमन एवं वहां संभावित भयाशंका श्रोतों की पहचान एवं चयन

भयाशंका यद्यपि कहीं भी हो सकती है किन्तु अनुभव यह बताता है कि हर एक आतंकवादी संगठन का एक विशेष कार्य क्षेत्र होता है जहां उसे अपराध करने की अधिक सहुलियत रहती है। उसे भरोसा रहता है कि वह सरलता से अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है और आसानी से बच निकल सकता है। उदाहरणतः– एल.टी.टी.ई. का सक्रिय भौगोलिक कार्य क्षेत्र श्रीलंका एवं भारत में तमिलनाडु रहा है। इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के लिए तमिलनाडु का क्षेत्र चुना। इसी तरह हमारे देश में माओवादी/नक्सलवादी आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में, बोडो आतंकवादी असम के कोकराझार एवं निकटवर्ती जिलों में एन.एल.एफ.टी., त्रिपुरा, नगालैण्ड तथा मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में विद्रोही, पाकिस्तान प्रेरित कश्मीरी आतंकवादी कश्मीर घाटी तथा डोडा जिले में अधिक सक्रिय हैं। यद्यपि वे अन्यत्र भी हमला कर सकते हैं और यदा कदा

करते भी हैं, किन्तु अधिकांश गतिविधियां उनके भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित रहती हैं। अतः आवश्यक है कि इस बात की पहचान कर ली जाए कि जिस विशेष व्यक्ति का काम हमें सौंपा गया है उसके विरुद्ध कौन कौन से आतंकवादी संगठन षड्यंत्र कर सकते हैं तथा उनके भौगोलिक कार्य क्षेत्र की सीमा क्या है।

2. सूचना की प्रकृति एवं एकत्र करने के बाद रख-रखाव की पद्धति

इस प्रक्रिया का यह दूसरा चरण होगा तथा यह निश्चित करना कि किस प्रकार की सूचना आकलित की जाएगी और उनका रख-रखाव किस प्रकार किया जाएगा।

आजकल कम्प्यूटर पद्धति का प्रयोग आम हो गया है। यदि यह सुविधा प्राप्त हो तो इसका सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना समुचित होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यदि कम्प्यूटर में वायरस आ जाए तो पूरे प्रोग्राम के खोने का डर रहता है। अतः अनुपूरक के रूप में फाईल व कार्ड पद्धति को भी रखा जाए।

जब भी आपके कार्य से संबंध भौगोलिक क्षेत्र में, आपके द्वारा संरक्षित व्यक्ति या संस्थान की सुरक्षा से संबंध कोई भी सूचना प्रचार-प्रसार के माध्यम से मिले तो फौरन उसे डाटा बेस में डालें। भौगोलिक क्षेत्र में कोई बम विस्फोट होता है, किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसका पूरा विवरण डाटा बेस में डालें जिसमें घटना की तिथि, स्थान, प्रकृति (बम विस्फोट, हत्या, अपहरण आदि) घटना की जिम्मेदारी किसी संगठन ने स्वीकार की है। घटना का लक्ष्य कौन था तथा उसके लक्ष्य बनने के संभावित कारण, लक्ष्य की राष्ट्रीयता, कितने व्यक्ति घटना में मरे, घायल हुए, कितनी धन हानि हुई (सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति, कितने आतंकवादी मारे गये, कितने आतंकवादी घटना में घायल हुए अथवा पकड़े गये आदि) आपको कोई टीका टिप्पणी करनी हो या किसी विशेषज्ञ की राय छपी हो तो उसकी भी प्रवृष्टि कर दें। उदाहरणतः बम विस्फोट की घटना में यदि विशेषज्ञ ने यह बयान दिया है कि विस्फोटक पदार्थ आर.डी.एक्स. था और उसे टाइम स्विच से विस्फोटित किया गया था तो घटना की प्राकृति शीर्षक के अन्तर्गत इसकी प्रविष्टि करें तथा उस विशेषज्ञ का नाम, पता तथा संदर्भ समाचार पत्र का संदर्भ भी लें।

3. सूचना स्रोत

प्रमुख राजनेताओं के संरक्षा तंत्रों को सरकारी गुप्तचर विभाग आदि सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अन्य नेता की संरक्षा का कार्य है तो अपनी सूचनाओं के श्रोत निश्चित करने पड़ेंगे।

सर्वप्रथम कोई एक दैनिक समाचार पत्र जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में विस्तृत अथवा संक्षिप्त खबरें छपती हैं जिसमें विश्व तथा राष्ट्र के विभिन्न भागों में घटित घटनाओं, बम काण्डों आदि की संक्षिप्त सूचनाएं छपी रहती हैं, आपके लिए इसका बड़ा महत्व होगा।

आपके भौगोलिक कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा छापी गयी सूचनाएं दूसरे श्रोत

कार्य करेंगी। उदाहरण – उत्तर प्रदेश को पूर्वी भाग में ''आज'' मध्यम भाग में ''जागरण'' तक पश्चिमी भाग में अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र। कई प्रादेशिक समाचार पत्र अपनी स्थानीय संस्करण भी निकालते हैं उनका भी उपयोग लाभप्रद होगा।

आजकल विभिन्न पुलिस बल तथा कई प्राइवेट संस्थाएं भी सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा अन्य पठन सामग्री प्रकाशित करती रहती हैं। समय समय पर सुरक्षा एवं संरक्षा सामग्री बनाने वाली कम्पनियां अपनी प्रदर्शनियां भी लगाती हैं। भारत में नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में प्रतिवर्ष सी.आई.एस.एफ. के तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इस विषय पर आयोजित की जाती है। इन प्रदर्शनियों में भी इस विषय पर कई प्रकार की सूचना सामग्री प्रस्तुत की जाती है। जो उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आपकी सूचना आकलन का यह तीसरा स्रोत हो सकता है।

सरकारी रिपोर्ट, संसद, विधान सभा आदि में हुई चर्चा, सरकारी वक्तव्य आदि खुले तौर पर छपती और बिकती है। यदि आपके पास समय एवं साधन उपलब्ध हो तो यह सर्वाधिक प्रमाणिक सूचना का स्रोत बन सकता है।

4. सूचना की सार्थकता

सूचनाओं को एकत्र करने के बाद की प्रक्रिया उसकी सत्यता एवं सार्थकता (वैलिडिटी) स्थापित करना होता है यह कार्य निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:-

क. **घटना स्थल का स्वयं निरीक्षण करके तथा घटना से संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करके**-यह या तो आप स्वयं कर सकते हैं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा करा सकते हैं। यह सर्वोत्तम तरीका होगा किन्तु यह समय एवं साधन पर अत्यधिक व्यय भार डालेगा।

ख. **सूचना के विभिन्न विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन**-एक घटना के बारे में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अध्ययन एक बड़े हद तक घटना का सही रूप प्रस्तुत करने में सहायक होंगे।

ग. **पठन पाठन सामग्री एवं प्रदर्श (विजुअल) का तुलनात्मक अध्ययन**-आजकल टी.वी. रिपोर्टरों एवं प्रेस तथा फ्री लॉसर कैमरामैनों से संबंधित घटनाओं का प्रदर्श (विजुअल) हासिल किए जा सकते हैं यदि मुद्रित सामग्री के साथ इनकी तुलनात्मक विवेचना की जाए तो घटना की सूचना सार्थकता एवं सत्यता के निरूपण में लाभ मिलेगा।

घ. **आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सूचना स्रोत एवं उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा तंत्र द्वारा उपयोग**-विभिन्न आतंकवादी संगठनों के क्रिया कलापों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वे निम्नलिखित पांच स्रोतों का उपयोग करते हैं:-

1. **खुले तौर पर उपलब्ध सूचना सामग्री**-1984 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माग्रेट थैचर पर ब्राइटन में हुए हमले का षड्यंत्र प्रोविजनल आइरिश रिपब्लिकन आर्मी नामक आतंकवादी संगठन ने समाचार पत्रों में उनके भ्रमण के विवरण की सूचना के आधार पर किया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में ये आतंकवादी सरकारी संगठनों अथवा व्यापारिक संगठनों से सम्भावित लक्ष्य से संबंध ठिकानों अथवा क्षेत्रों के सेटेलाइट फोटोग्राफ भी खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय नेताओं, राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं, पुलिस एवं फौज के वरिष्ठ अधिकारियों तथा औद्योगिक संस्थान के मालिकों एवं अधिकारियों के फोटोग्राफ विभिन्न अखबारों एवं इन दलों, विभागों एवं संस्थानों द्वारा प्रकाशित पाठ्य सामग्री सहज भी उपलब्ध रहती है। इस प्रकार आतंकवादी को अभिसूचना एकत्र करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ होती है इसके विश्लेषण की और अपने लक्ष्य के चयन की।

2. मानवीय स्रोतों द्वारा अभिसूचना प्राप्ति

- लक्ष्य के आस पास रहने वालों से सामान्य बातचीत द्वारा उसकी आदतों के बारे में सूचना प्राप्त करना।
- लक्ष्य के घर, दफ्तर या संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का रिश्वत देकर, बहला फुसलाकर उनकी धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा क्षेत्रीय भावनाओं को उभारकर अथवा डरा धमकाकर अभिसूचना हासिल करना।
- यदि कोई नौकर चाकर या कर्मचारी अथवा रिश्तेदार किसी कारण लक्ष्य से नाराज है तो उसका लाभ उठाकर सूचना प्राप्त करना।
- जानकारी रखने वाले व्यक्ति का अपहरण कर, उसे शारीरिक पीड़ा पहुंचाकर सूचना प्राप्त करना।
- आतंकवादी संगठन के साथ हमदर्दी रखने वाले अथवा उसके सिद्धान्तों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति जो स्वयं आतंकवादी हरकतों में शामिल नहीं होते हैं, की सूचना एकत्र करने के लिए इस्तेमाल करना। कई बार सरकारी कर्मचारियों, पुलिस जनों एवं फौजियों में भी इस तरह के तत्व इन्हें मिल जाते हैं जिससे उन्हें सटीक खबरें मिल जाती हैं।
- यदि लक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुआ और किसी अन्य स्रोत से विश्वसनीय सूचना न मिल पाई तो बहुधा आतंकवादी संगठन अपने एक होशियार सदस्य को लक्ष्य द्वारा संचालित संगठन अथवा संस्थान में इस कार्य हेतु दाखिल कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति तो उस संस्थान में नियमित कर्मचारी बन जाता है अथवा किसी विशिष्ट कार्य को करने के बहाने घुसपैठ कर जाता है। टेलीफोन की मरम्मत, एयरकन्डीशनर की जांच सफाई कर्मचारी के तौर पर इस प्रकार की घुसपैठ की जाती है।

3. संचार साधनों द्वारा भी सूचना एकत्र करना–आजकल वायरलैस एवं टेलीफोन आदि संचार साधनों के उपकरण खुले बाजार में सहज ही उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन इन्हें खरीद सकता है। जो वायरलैस की कार्य प्रणाली से वाकिफ हो वह आसानी से इन उपकरणों से ऐसा यंत्र बना सकता है जो पुलिस अथवा अन्य सुरक्षा संगठनों की वायरलैस वार्ता को मानीटर कर सके। वे इन्हीं उपकरणों से पुलिस अथवा सुरक्षा संगठनों

के वायरलैस नेटवर्क को ठप्प भी कर सकते हैं।

इसी प्रकार बाजार में उपलब्ध उपकरणों से टेलीफोन में ऐसा सूक्ष्म यंत्र (बग) लगाया जा सकता है जिससे उस टेलीफोन से होने वाले हर वार्तालाप को अन्यत्र सुना अथवा रिकार्ड किया जा सके। इसे सामान्य भाषा में टेलीफोन टेपिंग कहते हैं। यदि बग को ढूंढ भी लिया जाए तो भी यह मालूम करना संभव नहीं होगा कि किसने इसे लगाया था कब यह लगाया था और कितनी सूचना इसके जरिए अन्यत्र पहुंची।

4. **लक्ष्य के हरकतों पर निगरानी के द्वारा**– निगरानी द्वारा विश्वस्त सूचनाएं सरलतापूर्वक हासिल की जा सकती है। उदाहरणत: यदि किसी दूतावास के अधिकारी को अपहरण का लक्ष्य बनाया है तो उस दूतावास के सामने किसी बहाने आतंकवादी संगठन का एक कार्यकर्ता बैठ सकता है। वह उस अधिकारी के आने जाने के समय, उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का मॉडल, रंग आदि नोट कर सकता है और उसका पीछा कर उसके निवास का पता लगा सकता है। उसके घर के सामने या आसपास निगरानी रखकर किस प्रकार के व्यक्ति उसके यहां आते जाते हैं, पुलिस का किस प्रकार का पहरा लगा है या नहीं, नौकर चाकर कब काम खत्म कर बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार की सभी सूचनाएं हासिल कर सकता है।

पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बहाने थाने की कार्य पद्धति की निगरानी, छोटे मोटे जुर्म में अपने को गिरफ्तार कराकर जेल के अन्दर जाकर उसकी बनावट तथा पहरा पद्धति की निगरानी का काम भी कुछ आतंकवादी संगठनों ने किया है। वे यह सूचना इकट्ठा कर भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपने साथियों को पुलिस की हिरासत या जेल से छुड़ाने के लिए कर सकते हैं।

5. **फोटोग्राफी द्वारा सूचना एकत्र करना**– लक्ष्य व्यक्ति अथवा संस्थान, के फोटोग्राफ की उपादेयता कई प्रकार की होती है। यदि जिस तत्व को लक्ष्य के विरुद्ध कार्रवाई करनी है उसी ने फोटो भी खींचा है तो वह इसका व्यवहार अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए कर सकता है। यदि किसी अन्य तत्व द्वारा कार्रवाई की जानी है तो फोटोग्राफ उसे सही पहचान एवं हिदायत देने के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे।

हवाई जहाज, समुद्री जहाज पर जबरन कब्जा करने (हाईजैकिंग) अथवा किसी भवन में घुसकर लोगों को बंधक बनाने जैसी कार्रवाई में फोटोग्राफ, साधारण कैमरा द्वारा एवं वीडियो कैमरा द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सुरक्षा कर्मियों द्वारा भी उपर्युक्त सूचना स्रोतों का प्रयोग करना/इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करते समय वह यह ध्यान रखे कि कानून का सदैव पालन करें। आतंकवादी तत्व कानून की परिधि के बाहर काम करते हैं। अत: उन्हें कानून तोड़ने में न तो कोई हिचक होती है

और ना कोई बाधा। जबकि सुरक्षा कर्मी को कानून की चारदीवारी के अन्दर ही काम करना पड़ता है। उचित उद्देश्य हेतु भी यदि वह कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह उसी दण्ड का भागी होगा जो अन्य अपराधियों के लिए है।

6. **रख-रखाव की जिम्मेदारी**- सूचनाओं के आकलन, सार्थकता की विवेचना तथा अंतिम सूचना का रख-रखाव एक विशेष व्यक्ति अथवा इकाई को सौंपना समुचित होगा। इस कार्य को करते करते वह व्यक्ति विशेषज्ञ बन जाता है और उसे सहज ही सूझने लगता है कि कौन सी सूचना कितने महत्व की है/यही व्यक्ति समय समय पर इन सूचनाओं का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया करेगा। जिसके आधार पर सुरक्षा तंत्र के सभी कर्मियों का हिदायतें दी जा सकेंगी।

7. **विश्लेषण**- भयाशंका संबंधी सूचनाओं का आकलन करने के बाद उनका विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि किस भौगोलिक क्षेत्र में किन आतंकवादी तत्वों से आपके द्वारा संरक्षित व्यक्ति का खतरा है। यह खतरा किस प्रकार का है। उनकी कार्य पद्धति (मोड्स आपरेन्डाई) किस प्रकार की है। उनसे संरक्षित व्यक्ति की संरक्षा हेतु क्या प्रबंध आवश्यक होगा एवं वहां की स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है और उनसे इस कार्य में क्या मदद मिल सकती है। इस विश्लेषणात्मक आख्या के आधार पर ही निरोधात्मक सुरक्षा प्रबंध की रूपरेखा बनाई जा सकती है।

इसके अलावा सूचनाओं का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

1. आपके द्वारा संरक्षित व्यक्ति से सम्बन्ध भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार के आतंकवादी/उग्रवादी हथियारबंद संगठन सक्रिय हैं। उनके प्रमुख ध्येय क्या हैं, उनका आपके संरक्षित व्यक्ति से क्या सरोकार हो सकता है।
2. क्या ये आतंकवादी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, यदि हां तो आपके लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
3. क्या इस भौगोलिक क्षेत्र में पिछले वर्षों में आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं। यदि हां तो क्या उसका कोई साक्ष्य तरकीब (पैटर्न) रही है। बैंक लूटने का काम आतंकवादी करते हैं।
4. क्या आपके क्षेत्र में आतकंवादी किसी खास हरकत को बार-बार दोहराते हैं, जैसे उद्योगपतियों का बार-बार अपहरण एवं फिरौती पाने पर उन्हें मुक्त करने का काम।
5. अन्य देश से आर्थिक एवं संसाधनों की मदद मिलती है जो राजनीतिक ध्येय प्राप्त करने, पब्लिसिटी या गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए उपयोग करते हैं।
6. यदि आपके क्षेत्र में उद्योगपति या अन्य प्रमुख व्यक्ति का अपहरण हुआ है तो उसकी तरकीब जरूर लिखो।
7. क्या सम्बन्धित औद्योगिक/व्यापार संस्थान की अच्छी पब्लिसिटी के बाद यह घटना हुई। क्या पिछली घटनाओं में किसी विशेष उद्योग को

ही आतंकवादियों ने अपहरण कार्य के लिए चुना (जैसे बोडो उग्रवादी क्षेत्र में चाय बागान के अधिकारियों का अपहरण) क्या फिरौती की रकम आसानी से चुकाते रहे हैं, यह भी देखना होगा।

8. यदि अपने उद्देश्य में आतंकवादी सफल रहे हैं तो इसके कारण क्या हैं, क्या लक्ष्य का पहचानना आसान था।

9. इसी प्रकार आतंकवादी संगठनों की विफलता की घटनाओं का भी विश्लेषण करें। उनकी असफलता के क्या कारण थे और ये श्रेय किस हद तक सुरक्षा सेवाओं को जाता है, कहां और कैसे वह रोके जा सके।

10. किन-किन संरक्षित व्यक्तियों पर हमला नहीं हुआ, उसकी संरक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, क्या यह आपके लिए नमूना बन सकता है।

विश्लेषण के उपरान्त ही आपको संरक्षित व्यक्ति की संरक्षा आवश्यकताएं क्या है और किस प्रकार की हैं, ये आवश्यकताएं अल्प अवधि के लिए हैं अथवा दीर्घ अवधि के लिए। तदनुसार ही संरक्षा प्रबंध की रूपरेखा बनाई जाएगी।

❑

न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान

डॉ. बी.डी. माली
सहायक निदेशक (सेवानिवृत)
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

चालीस साल पहले अपराध अंवेषण में पुलिस प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य हेतु प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के ऊपर ही निर्भर रहती थी। आज के युग में विज्ञान के प्रभाव से आम आदमी की जीवन शैली में बदलाव आया है। पुलिस के कार्यों में भी अपराध जांच के मामलों में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए एक वैज्ञानिक शाखा स्थापित हुई जिसे न्यायालयिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। इस विज्ञान के समस्त क्षेत्रों (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि) के वैज्ञानिक जुटकर अपराध से जुड़े भौतिक साक्ष्य की पहचान करने के उपरांत इसका अपराध से जुड़े अपराधियों के साथ उसका संबंध स्थापित करते हैं। भौतिक साक्ष्य में खून, बाल, वीर्य, थूक, पसीना एवं विसरा आदि से संबंधित विश्लेषण से हत्या, आत्महत्या, चोट, यौन अपराध से संबंधित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ अपराधों में घटनास्थल से पुलिस को कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिलता है। इस स्थिति में विधि वैज्ञानिक विशेषज्ञ की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं घटनास्थल का निरीक्षण और भौतिक साक्ष्य ढूंढ़ने में सहायता महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे अपराध को सुलझाने में मदद मिलती है। अपराध से जुड़े कपड़े के तंतु, मिट्टी के कण, बाल, कांच के टुकड़े, टूटे बटन, पेंट चिप, कपड़ों या जूते पर पड़े कीचड़ के दाग, परागकण, बीजाणु ऐसे सूक्ष्म भौतिकी साक्ष्यों को जमा करना विधि वैज्ञानिक का काम है। इसमें फूलों के परागकण, बीजाणु, पत्ते फल, बीज आदि का अध्ययन न्यायालयिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होता है। अफीम, गांजा, चरस, कोका यह प्राकृतिक नारकोटिक्स है। इसकी पहचान/क्रियाशील तत्वों का मूल्यांकन करने के लिए एन.डी.पी.एस. कानून के अंतर्गत अक्सर न्यायालयिक प्रयोगशाला में प्राप्त होते हैं। इस प्राकृतिक पदार्थ की मोर्फोलोजी (पत्ते, फूलों की संरचना, क्रीस्तोलिथीक हेअर, आदि) न्यायालयिक वनस्पति शास्त्री करते हैं। आपराधिक जांच में परागकण और बीजाणुओं का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की उप शाखा न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसका ग्रीक अर्थ है **बिखरी धूल** और इसका अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ बीजाणु शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। यह पौधों के परागकणों की पहचान करते हैं तथा उनका जिओग्राफिक स्थान, काल और मौसम निश्चित करते हैं।

न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान को कई देशों में जैसे कि स्वीडन, न्यूजीलैंड, आस्ट्रिया, अमेरिका, कनाडा में लगभग साठ साल से कई अपराधों की जांच में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। परागकण का सबसे पहला सबूत स्वीडन में 1959 में पहली बार निर्जन जगह पर हुई एक महिला की हत्या के मामले में प्रयोग किया गया था। अदालत ने कई विशेषज्ञों के समेत बीजाणु शास्त्री को महिला के कपड़ों पर मिट्टी की जांच करने के लिए कहा, जिससे वह निर्धारित करना था कि उस महिला की हत्या उसी जगह हुई जहां उसका शव मिला, या कहीं और पराग विशेषज्ञ की परीक्षण रिपोर्ट से ये पता चला कि महिला को

कहीं और मारा गया था और उसका शव घटनास्थल पर डाला गया था।

आस्ट्रिया की राजधानी विएना में परागकण का सबूत 1969 में एक आदमी के एकाएक गायब होने के मामले में अदालत में पेश किया गया। डेनुब नदी के किनारे हुई इस घटना से आदमी का न शव मिला और न घटनास्थल पर सबूत। पुलिस ने इस अपराध में एक संदिग्ध को पकड़ा लेकिन उसको अपराध से जोड़ना मुश्किल था। जैसे अपराध की जांच आगे बढ़ी तब संदिग्ध के जूते पर लगे कीचड़ के सूखे दाग मिले। यह पराग विशेषज्ञ को भेजे गए। कीचड़ के सूखे दाग खरोंच कर निकली मिट्टी के विशेषज्ञ द्वारा किए गए परीक्षण में विलो, स्प्रूस, अल्दर और हिकोरी के परागकण मिले। यही पौधों के परागकण का मिश्रण डेनुब वैली में भी मिला था। जब पुलिस संदिग्ध को इस वैली में लेकर गए तब उसने अपराध कबूल किया और वह जगह दिखाई जहां आदमी की उसने हत्या की थी और उसका शव दफनाया था।

बोसनिया में हुई सामूहिक हत्या

परागकण का उपयोग बोसनिया युद्ध में निरपराध निहत्थे लोगों की हत्या का मामला उलझाने में किया गया। वहां जुलाई 1995 में सात ग्रेव में ढेर सारे मृतक के शव दफनाए गए। तीन महीने बाद इस हत्या की घटना को छिपाने और अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए दफनाए गए शव बाहर निकालकर, बहुत सारे नए कब्रगाह में दफनाए गए। लेकिन पराग विशेषज्ञों के परीक्षणों पर आधारित यह साबित हुआ कि सात ग्रेव में से शव निकालकर कहीं और दफनाए गए।

इसी तरह प्राकृतिक नारकोटिक्स, बलात्कार, मानवी हत्या, फर्जी दस्तावेज ऐसे आपराधिक मामलों को सुलझाने में परागकण का परीक्षण अपराधी तक पहुंचने में पुलिस की सहायता करता है।

परागकण का उदगम और उसकी विशेषता क्या है यह हम देखते हैं।

परागकण फूल के परागकोष के पुरूष प्रजनन अंग से होते हैं। यह फूलधारण करने वाले पौधे या शंकुधारण करने वाले पौधे (पाइन, फर सेडोर आदि) में उत्पन्न होते हैं। परागकण परागकोष में बहुत मात्रा में उत्पन्न होते हैं और उनका आकार अति सूक्ष्म होता है। यह आंखों से दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका आकार सामान्यतया 20 से लेकर 60 माइक्रोमीटर तक होता है। इनको केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अगर हम परागकण की रचना देखे तो यह मालूम पड़ता है कि हर परागकण की दो परत की सतह होती है। एक बाहर की परत जिसे एक्सीन और अंदर की परत जिसे इंटाईन कहते हैं। बाहर की परत जाडी और सेल्यूलोस की बनी होती है। यह निरंतर नहीं होती और इसमें छोटे-छोटे सुराख होते हैं। एक्सीन सूक्ष्मदर्शी के नीचे शोभाकारी दिखती है, जिससे परागकण किस पौधे का है यह जानने में सहायता मिलती है। एक्सीन स्पोरोपोल्लेनिन नामक एक जटिल रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। जिससे परागकण का रासायनिक और जैविक पदार्थो से रक्षण होता है। परागकण की अंदर की परत पतली होती है।

पोलन फिंगरप्रिंट क्या है?

परागकण हलके होने के कारण हवा के साथ

फैल जाते हैं। ज्यादातर परागकण हवा से उदगम स्थान से सौ मीटर तक और ज्यादा से ज्यादा 2 कि.मी. तक फैल जाते हैं। एक क्षेत्र में साल के एक मास में कौन से पौधे के कितने प्रकार के परागकण मिलते हैं यह जानकारी बीजाणुशास्त्री ही निकालते हैं इसे पोलन फिंगर प्रिंट कहते हैं। परागकण की चिपचिपी प्रकृति के कारण वह कहीं भी चिपक जाते हैं। घटनास्थल पर अनजाने में परागकण अपराधी के नाक, कान, बाल, शरीर, कपड़े, जूते, मोजे, कागज, वाहन आदि पर चिपक जाते हैं। न्यूजीलैंड के वरिष्ठ पैलिनोलाजिस्ट डा. उलास मिल्डनहाल का मानना है कि यदि घरेलू डिटर्जेंट से कपड़े धोएं तो कुछ परागकण धोए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पराकगण अपराधी के कपड़ों पर रह जाते हैं।

अपराध जांच और परागकण

परागकण अपराध जांच में कैसे मदद करते हैं? यह हम देख सकते हैं।

1. अपराध के संबंद्ध में जो संदिग्ध पुलिस ने पकड़ा है, उसे घटनास्थल से जोड़ना।
2. अपराध स्थल पर छोड़ी/मिली भौतिक साक्ष्य या वस्तु से संदिग्ध को जोड़ना।
3. संदिग्ध द्वारा पूछताछ में बताई गई किसी बात को प्रमाण दे कर साबित या असत्य सिद्ध करना।
4. प्राकृतिक नारकोटक पदार्थ का भौगोलिक स्थान निश्चित करना और उसका दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग निर्धारित करना।
5. शहद की शुद्धता सिद्ध करना वह कौन से फूल के कमरंद से तैयार हुआ है और उस पौधे का भौगोलिक स्थान निश्चित करना।
6. पालतू प्राणी के खो जाने पर या उसकी चोरी होने पर या अपराध में सहभागी होने पर उसके मालिक की खोज करना, केवल उनके बालों में फंसे परागकण की जांच पर निर्भर होता है।
7. गुप्त कब्र और मानवीय अवशेष खोजने तथा उसका निक्षेपण अवधि सुलझाने में परागकण मदद करते हैं।

आपराधिक जांच में परागकण संबंधित कौन से भौतिक साक्ष्य लेने चाहिए-

1. अपराध स्थल की मिट्टी और धूल।
2. अपराध स्थल के आसपास की मिट्टी और धूल।
3. पीड़ित के कपड़े, बाल और जूते पर लगा कीचड़, मिट्टी या धूल जिससे पीड़ित का संबंध अपराध स्थल से जोड़ा जा सके।
4. संदिग्ध वाहन में टायर को लगा कीचड़, मिट्टी या धूल।
5. पीड़ित या अपराधी के नाक, कान, बाल और नाखून में मिले परागकण।

परागकण का संग्रह और परीक्षण

पुलिस द्वारा अपराध और अपराध स्थल के बारे में सभी जानकारी परागकण विशेषज्ञ को देनी चाहिए। विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे अपराध घटना का पुनःसंरचना में सहायता मिलती है। यथार्थ और

सही परिणाम मिलने के लिए उचित परागकण का संग्रह करना अनुभवी और सक्षम विशेषज्ञ का काम है। विशेषज्ञ यह भी देखते हैं कि कहां पर परागकण का अनुचित और ज्यादा संग्रह न हो जिसका असर परिणाम पर पड़े।

परागकण हल्के होने से किसी भी वस्तु जैसे कपड़ा, जूते, मिट्टी, धूल, वाहन आदि से चिपक जाते हैं। इसलिए परागकण को संग्रह करते समय विशेषज्ञ को हाथ में पोलिथिन के दस्ताने पहनने चाहिए और पोलिथिन बैग में परागकण का संग्रह करना चाहिए। इसी तरह अपराध स्थल के आसपास की जगह के पौधे के परागकण को भी इकट्ठा करना चाहिए जो कंट्रोल सैंपल के तौर पर प्रयोग होते हैं।

परागकण और कंट्रोल सैंपल रखे लिफाफे पर संग्रह की तारीख, समय, स्थान, पुलिस स्टेशन, क्राइम नंबर और गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए और परीक्षण को लेने तक ताले में सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। अपराध की पुन:संरचना करने के लिए अपराध स्थल का फोटो या वीडियो रिकार्डिंग मददगार होती है। लेकिन यह रिकार्डिंग पुलिस के अपराध स्थल पर जाने पर ही की जानी चाहिए।

परागकण का विश्लेषण

न्यायालयिक प्रयोगशाला में परागकण का विश्लेषण करने से पहले सभी ग्लासवेयर और सहायक वस्तु परागकण या अवांछित पदार्थ से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विश्लेषक संदूषित नमूना जांच करने में अपना कीमती समय और कैमिकल्स बेकार नहीं जाना चाहिए।

संदिग्ध/पीड़ित के कपड़े, मिट्टी और जूते में लगे कीचड़ में अधिकतम परागकण और बीजाणु फंसे रहते हैं। यह अलग-अलग बीकर में ले कर 70 प्रतिशत एथिल अल्कोहल में डूबाते हैं जिससे फंसे परागकण और बीजाणु मुक्त होते हैं। मानवीय बाल हेयर ऑयल और हेयर लोशन की वजह से हवा में बिखरे परागकण पकड़ लेते हैं। इसलिए संदिग्ध/पीड़ित के बाल डिटर्जेंट और डिस्टल्ड वाटर से धोकर उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं। सभी सौलूशन बारीक जाली से फिल्टर करते हैं। परागकण को डाई से स्टेन करके उसकी ग्लिसरीन में स्लाइड बनाते हैं। इसी तरह कंट्रोल सैंपल की भी स्लाइड बनाते हैं। दोनों स्लाइड सूक्ष्मदर्शी से देखकर संदिग्ध गुनहगार है या नहीं इसका पता चल सकता है।

परागकण का अन्य क्षेत्र में महत्व

1. परागकण के विश्लेषण से जाली दवा का पता चलता है, जैसे की आरटेसुनेट यह ड्रग मलेरिया में लाभदायक है जो आरटेमिसिया अनुआ यह चीनी पौधे से मिलता है।
2. संग्रहालय में कई प्रख्यात कलाकारों की पेंटिंग्स रहती है। जो पेंट में रहे परागकण की जांच से प्रमाणित करते हैं।
3. आयल कंपनी उनको जहाज से भेज कर क्रूड आयल का स्रोत जानने के लिए आयल में आए परागकण की जांच करती हैं।

भारत में न्यायालयिक बिजाणु विज्ञान की स्थिति

न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान लगभग साठ साल से विकसित देशों में अपराधों की जांच में सबूत के

रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पहली बार परागकण की रिपोर्ट को सबूत के रूप में अदालत की मान्यता मिली। लेकिन विकासशील देशों में यह विज्ञान उपेक्षित रहा है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि परागकण किस तरह अपराध जांच में मददगार होते हैं। भारत में वनस्पति विज्ञान स्कूल कालेजों में पढ़ाया जाता है और सालों से विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान चालू है। लेकिन न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान की न विश्वविद्यालय स्तर पर जरूरत पड़ी, न न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में। भारत में हत्या और बलात्कार जैसे अपराध यदि निर्जन स्थान पर हुए होते हैं तो पुलिस पीड़ित या संदिग्ध के कपड़े और रक्तरंजित वस्तु प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं और प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहते हैं। पुलिस या विशेषज्ञ में बहुत कमजनों को न्यायालयिक बीजाणु शास्त्र की जानकारी है। भारत में कई जगह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यायालयिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। वहां न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए और उसका व्यावहारिक उपयोग समझना चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान की सफलता अपराध स्थल से परागण का संग्रह, परिरक्षण और परीक्षण पर निर्भर है। मेरा विश्वास है कि पुलिस जांच में मानवी हत्या, बलात्कार और हत्या, नशीले पदार्थ की तस्करी और अपराध की जगह, आदि सुलझाने में उपरोक्त जानकारी सहायक हो सकती है। हम आशा करते हैं कि भारत और विश्व के समस्त देशों में आपराधिक न्याय प्रक्रिया में न्यायालयिक बीजाणु विज्ञान एक दिन उभरकर सामने आएगा।

❑